भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 583
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

गरीब और उपेक्षित वर्गों को कानूनी सहायता

583 श्रीमती अम्बिका सोनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की समाज के गरीब और उपेक्षित वर्गों को जनहित में कानूनी सहायता प्रदान करने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और (ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि समाज के गरीब और उपेक्षित वर्गों को त्वरित व निष्पक्ष न्याय मिले ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987, समाज के दुर्बल वर्गों जिसके अंतर्गत धारा 12 के अधीन आने वाले फायदाग्राही भी हैं, को निशुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विधिक पद्धति के प्रवर्तन से समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन हो, लोक अदालतें संगठित करने के लिए उपबंध करता है|

इस प्रयोजन के लिए, उच्चतम न्यायालय से तालुक न्यायालय स्तर तक विधिक सेवा संस्थाएं गठित की गई हैं । अप्रैल 2021 से सितम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान 3.10 लाख व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और 75.41लाख मामले (न्यायालयों में लंबित और मुकदमेबाजी-पूर्व प्रक्रम पर विवाद) लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, सरकार न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों को प्रो-बोनो वकीलों के साथ जोड़े जाने के लिए कार्यान्वित कर रही हैं । कार्यक्रम के अधीन 3583 प्रो-बोनो अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत किए गए और फायदाग्राहियों द्वारा 1436 मामलें रजिस्ट्रीकृत किए गए । सरकार द्वारा चलाया जा रहा टैली-विधि कार्यक्रम जनता के लिए, जिसके अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति भी हैं,

पंचायतों में विधिक परामर्श मुकदमेबाजी -पूर्व प्रक्रम पर पैनल वकीलों द्वारा सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई है । टेली विधि ने आजतक 12.5 लाख से अधिक फायदाग्राहियों सेवा प्रदान की है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 586
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

586 श्री देरेक ओब्राईन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) न्यायपालिका में प्रत्येक स्तर (निचले न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय) पर कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) न्यायपालिका के प्रत्येक स्तर पर रिक्तियों से जुड़े आँकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने लंबित मामलों की समस्या के समाधान हेतु कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्यायपालिका में लम्बन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लम्बन और तारीख
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	70,038 (08.11.2021)*
2	उच्च न्यायालय	56,42,858 (29.11.2021)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3,79,42,466 (29.11.2021)**

स्रोत

*भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट

**राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

(ख) : न्यायपालिका में रिक्ति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लम्बन और तारीख

1	भारत का उच्चतम न्यायालय	01 (01.11.2021)*
2	उच्च न्यायालय	406 (01.11.2021)*
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	5191 (29.11.2021)*

स्रोत

*न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

(ग) और (घ) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक

18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
29.11.2021	24,485	19,294

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 587
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिक

587 श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) देश की जेलों में कितने कानूनी सहायता क्लिनिक हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में कानूनी सहायता क्लिनिकों द्वारा कितने विचाराधीन मामलों को निपटाया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों की संख्या कितनी है और उनकी कार्य प्रणाली क्या है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में कितने विचाराधीन मामले पुरूष कैदियों और कितने विचाराधीन मामले महिला कैदियों के हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित विचाराधीन मामलों के निपटान से संबंधित नीति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : सितंबर, 2021 के अनुसार राज्यवार, देश में विधिक सेवा क्लिनिक और वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 (सितंबर, 2021 तक) के दौरान जेल विधिक सेवा क्लिनिक में विधिक सेवा प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण उपाबंध-क पर दिया गया है ।

(ग) : विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति का गठन अनावश्यक अवरोध को रोके जाने के लिए विचाराधीन मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए किया गया है । विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की संख्या को अंवर्तिष्ट करने वाला एक विवरण उपाबंध-ख पर दिया गया है । वर्ष 2019, 2020 और 2021 (सितंबर, 2021 तक) के दौरान आयोजित की गई विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की बैठकें, जमानत/छोड़े जाने के लिए सिफारिश किए गए/पहचान किए गए विचाराधीन कैदियों/दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या तथा छोड़े गए कैदियों की संख्या को अंतर्विष्ट करने वाला एक विवरण उपाबंध-ग पर दिया गया है ।

(घ) : तारीख 31.12.2019 के अनुसार कारावासों में रखे गए विचाराधीन पुरुष और महिला की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार संख्या उपाबंध-घ पर दी गई है । राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो पर नवीनतम प्रकाशित आंकड़े वर्ष 2019 से संबंधित हैं ।

(ङ.) : अब तक बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, ओडीशा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख राज्य/संघ राज्यक्षेत्र उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क विधिक सेवाप्रदान करता है । कुछ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों में उभयलिंगी व्यक्तियों को भी परा विधिक स्वयं सेवियों के रूप में पैनलीकृत किया गया है जिनको उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता की सुविधा के लिए जोड़ा गया है ।

****

उपाबंध-क

जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिक- श्री प्रताप सिंह बाजवा, संसद सदस्य द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 587 जिसका उत्तर 02.12.2021 कोदिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

सितंबर, 2021 के अनुसार राज्यवार, देश में विधिक सेवा क्लिनिक और वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 (सितंबर, 2021 तक) के दौरान जेल विधिक सेवा क्लिनिक में विधिक सेवा प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण

क्र. सं.	एसएलएसए	सितंबर, 2021 के अनुसार विधिक सेवा क्लिनिक	जेल विधिक सेवा क्लिनिक में विधिक सेवा प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या		
			2019-20	2020-21	2021-22 (सितंबर, 2021 तक)
1	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	82	5626	334	337
3	अरुणाचल प्रदेश	5	64	32	40
4	असम	31	2081	792	394
5	बिहार	37	9780	9436	4835
6	छत्तीसगढ	34	26597	4210	4345
7	दादर और नागर हवेली	1	0	0	0
8	दमन और दीव	1	0	0	0
9	दिल्ली	18	81609	87214	58964
10	गोवा	1	555	118	57
11	गुजरात	51	7486	887	1557
12	हरियाणा	19	28981	561	1459
13	हिमाचल प्रदेश	12	4636	465	301
14	जम्मू और कश्मीर	14	933	196	244
15	झारखंड	29	7297	4537	2422
16	कर्नाटक	56	13371	5502	4318
17	केरल	27	6077	1067	1008
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	123	4972	989	450
20	महाराष्ट्र	41	5919	1885	774
21	मणिपुर	2	239	102	110
22	मेघालय	5	109	0	0
23	मिजोरम	6	790	328	85
24	नागालैंड	11	136	135	91
25	ओडिशा	86	2822	2491	1219
26	पंजाब	4	76	105	314
27	राजस्थान	26	14833	5635	5850
28	सिक्किम	100	32679	4913	1832
29	तमिलनाडु	2	114	150	0
30	तेलंगाना	125	2657	3727	3996
31	त्रिपुरा	35	6651	1290	622
32	मध्य प्रदेश	12	127	0	0
33	चंडीगढ़	1	476	382	559
34	उत्तर प्रदेश	42	3391	555	187
35	उत्तराखंड	10	3012	968	600
36	पश्चिमी बंगाल	64	23612	4031	1169
37	लद्दाख	1	-	0	0
	कुल	**1114**	**297708**	**143037**	**98139**

उपाबंध-ख

जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिक- श्री प्रताप सिंह बाजवा, संसद सदस्य द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 587 जिसका उत्तर 02.12.2021 कोदिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की संख्या को दर्शित करने वाला एक विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**विचाराधीन पुनर्विलोकन समितिकी संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	17
3.	असम	28
4.	बिहार	37
5.	छत्तीसगढ	23
6.	गोवा	02
7.	गुजरात	32
8.	हरियाणा	22
9.	हिमाचल प्रदेश	11
10.	जम्मू और कश्मीर	20
11.	झारखंड	24
12.	कर्नाटक	30
13.	केरल	14
14.	मध्य प्रदेश	50
15.	महाराष्ट्र	34
16.	मणिपुर	16
17.	मेघालय	11
18.	मिजोरम	09
19.	नागालैंड	11
20.	ओडिशा	30
21.	पंजाब	22
22.	राजस्थान	36
23.	सिक्किम	04
24.	तेलंगाना	10
25.	तमिलनाडु	32
26.	त्रिपुरा	08
27.	उत्तर प्रदेश	71
28.	उत्तराखंड	13
29.	पश्चिमी बंगाल	22
30.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	01
31.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	01
32.	दादर और नागर हवेली	01
33.	दमन और दीव	01
34.	दिल्ली	11
35.	लक्षद्वीप	01
36.	पुदुचेरी	02
37.	लद्दाख	02

****

उपाबंध-ग

जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिक- श्री प्रताप सिंह बाजवा, संसद सदस्य द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 587 जिसका उत्तर 02.12.2021 कोदिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

वर्ष 2019, 2020 और 2021 (सितंबर, 2021 तक) के दौरान आयोजित की गई विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की बैठकें, जमानत/छोड़े जाने के लिए सिफारिश किए गए/पहचान किए गए विचाराधीन कैदियों/दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या तथा छोड़े गए कैदियों की संख्या को अंतर्विष्ट करने वाला एक विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019			2020			2021 (सितंबर, 2021 तक)		
		आयोजित की गई विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की बैठकों की संख्या	जमानत/छोड़े जाने के लिए सिफारिश किए गए/पहचान किए गए विचाराधीन कैदियों/दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसरण में छोड़े गए कैदियों की संख्या	आयोजित की गई विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की बैठकों की संख्या	जमानत/छोड़े जाने के लिए सिफारिश किए गए/पहचान किए गए विचाराधीन कैदियों/दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसरण में छोड़े गए कैदियों की संख्या	आयोजित की गई विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की बैठकों की संख्या	जमानत/छोड़े जाने के लिए सिफारिश किए गए/पहचान किए गए विचाराधीन कैदियों/दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसरण में छोड़े गए कैदियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	127	1768	1004	78	1214	326	35	1094	349
2	अरुणाचल प्रदेश	72	145	26	95	276	82	58	150	27
3	असम	132	1419	620	247	1070	592	259	2216	1266
4	बिहार	249	479	101	344	391	95	177	535	184
5	छत्तीसगढ	174	4613	2252	76	1762	686	66	1060	129
6	गोवा	8	79	45	48	13	7	14	24	2
7	गुजरात	235	675	149	495	110	20	188	191	43
8	हरियाणा	217	1847	221	790	783	259	512	529	271
9	हिमाचल प्रदेश	91	29	27	423	21	3	398	7	1
10	जम्मू और कश्मीर	18	0	0	43	1	7	21	8	5
11	झारखंड	169	277	8	313	145	47	249	355	207
12	कर्नाटक	245	260	15	356	66	19	404	726	99
13	केरल	0	650	98	23	35	9	22	120	1
14	मध्य प्रदेश	314	3319	606	432	1083	802	244	1652	263
15	महाराष्ट्र	274	4880	1739	594	3947	3047	488	2412	663
16	मणिपुर	65	34	43	24	133	33	20	203	10

17	मेघालय	11	291	72	79	231	190	10	160	11
18	मिजोरम	0	350	151	0	0	0	2	105	0
19	नागालैंड	39	22	16	84	72	42	27	48	31
20	ओडिशा	30	662	106	1170	2091	1229	1080	3122	2409
21	पंजाब	151	1481	323	625	2011	1608	474	1009	556
22	राजस्थान	404	4497	613	1087	3672	791	848	4349	2474
23	सिक्किम	32	1	1	152	12	4	150	1	0
24	तेलंगाना	48	1650	610	32	477	409	25	190	65
25	तमिलनाडु	77	1031	458	91	1021	745	77	1704	1029
26	त्रिपुरा	16	10	1	109	367	157	158	270	164
27	उत्तर प्रदेश	186	1274	1640	541	2157	2212	550	1028	888
28	उत्तराखंड	27	2704	845	268	2043	484	168	1699	1235
29	पश्चिमी बंगाल	99	1292	312	530	2050	885	331	2130	956
30	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	13	2	2	25	0	0
31	चंडीगढ़	7	0	0	19	0	0	1	0	0
32	दादर और नागर हवेली	3	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	12	0	0	6	6	0	7	3	0
34	दिल्ली	90	1562	367	315	1095	481	243	1498	694
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	4	8	9	5	0	0	5	0	0
37	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	4	0	0
	कुल	**3626**	**37309**	**12478**	**9507**	**28357**	**15273**	**7340**	**28598**	**14032**

टिप्पण : लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन फरवरी, 2021 में किया गया था।

उपाबंध-घ

जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिक- श्री प्रताप सिंह बाजवा, संसद सदस्य द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 587 जिसका उत्तर 02.12.2021 कोदिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार जेलों में बंद विचाराधीन पुरुष और महिला विचाराधीन पुरुषों की संख्या वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	विचाराधीन		
		पुरुष	महिला	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4470	299	4769
2	अरुणाचल प्रदेश	101	5	106
3	असम	5918	212	6130
4	बिहार	30300	975	31275
5	छत्तीसगढ	9350	479	9829
6	गोवा	345	24	369
7	गुजरात	9479	320	9799
8	हरियाणा	12755	405	13160
9	हिमाचल प्रदेश	1371	54	1425
10	जम्मू और कश्मीर	2959	116	3075
11	झारखंड	12203	556	12759
12	कर्नाटक	10112	388	10500
13	केरल	4224	106	4330
14	मध्य प्रदेश	23189	968	24157
15	महाराष्ट्र	26358	1199	27557
16	मणिपुर	708	50	758
17	मेघालय	834	27	861
18	मिजोरम	939	158	1097
19	नागालैंड	310	4	314
20	ओडिशा	13343	460	13803
21	पंजाब	15066	883	15949
22	राजस्थान	14981	397	15378
23	तमिलनाडु	246	9	255
24	तेलंगाना	8703	541	9244
25	त्रिपुरा	4091	293	4384
26	तमिलनाडु	550	18	568
27	उत्तर प्रदेश	70455	2963	73418
28	उत्तराखंड	3206	167	3373
29	पश्चिमी बंगाल	15567	911	16478
	कुल राज्य	**302133**	**12987**	**315120**
30	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	129	3	132
31	चंडीगढ़	547	33	580
32	दादर और नागर हवेली	46	0	46
33	दमन और दीव	42	4	46
34	दिल्ली	13861	521	14382
35	लक्षद्वीप	4	0	4
36	पुदुचेरी	175	2	177
	कुल सं.राज्य **(एस)**	**14804**	**563**	**15367**
	कुल**(पूर्ण भारत)**	**316937**	**13550**	**330487**

• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।

वर्ष 2018 एवं 2019 के लिए पश्चिमी बंगाल से आंकड़े प्राप्त न होने के कारण 2017 के प्रस्तुत आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 588
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

588 श्री सुशील कुमार गुप्ता :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार को देश में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो गत पांच वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और (ग) इस चलन को रोकने हेतु यदि कोई उपाय किए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ग) : उच्चतर न्यायपालिका में ''आंतरिक तंत्र'' के माध्यम से जवाबदेही बनायी रखी जाती है । भारत के उच्चतम न्यायालय ने, अपनी 7 मई, 1997 की पूर्ण न्यायालय बैठक में दो संकल्प अंगीकृत किए थे, अर्थात् (i) ''न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुन:प्रवर्तन '' जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अनुपालन और संप्रेक्षण किए जाने वाले सिद्धांतों और कतिपय न्यायिक मानकों को अधिकथित करता है; (ii) ऐसे न्यायाधीशों के विरुद्ध उचित उपचारी उपाय लेने के लिए''आंतरिक प्रक्रिया'' जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत न्यायिक जीवन के मूल्यों का अनुपालन नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुन:प्रवर्तन भी सम्मिलित है ।

उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित ''आंतरिक तंत्र'' के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों के आचार के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । उसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचार के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । ऐसी प्राप्त हुई शिकायतें/अभ्यावेदन, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबद्ध उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति को समुचित कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती हैं । राज्यों में अधीनस्थ न्यायापालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है ।

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) में 1622 शिकायतें न्यायपालिका के कार्य संबंधी प्राप्त हुई हैं, जिसके अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त हुए न्यायिक भ्रष्टाचार भी हैं और ये स्थापित ''आंतरिक तंत्र'' के अनुसार, क्रमश: उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों/भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अग्रेषित की जाती हैं ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 589

जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियां

589 श्री जॉन ब्रिटास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है ;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार सरकार के पास कितने कॉलेजियम प्रस्ताव लंबित पड़े हैं ;

(ग) सरकार द्वारा कितने कॉलेजियम प्रस्ताव लौटाए गए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : 2021 में 09 न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की गई और 29.11.2021 तक 118 न्यायाधीशों की विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की गई । सरकार, केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई हो । उच्च न्यायालय कॉलेजियम प्रस्ताओं की कुल संख्या, जो सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच विचारणा के विभिन्न स्तर पर है, 29.11.2021 तक 164 हैं । प्रस्तावों की संख्या, जो उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सलाह पर सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों को भेजे या वापस किए गए है, वर्तमान वर्ष के दौरान 55 हैं ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन करना अपेक्षित है । जब कि हर संभव प्रयास शीघ्रतापूर्वक विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए किया गया है । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, पद-त्याग या न्यायाधीशों के उन्नयन से हो रही हैं और न्यायाधीशों की संख्या का बढ़ना भी कारण है ।

****

संक्षिप्त

उच्च न्यायालय कॉलेजियम प्रस्तावों की प्रास्थिति/ब्यौरे

उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त किए गए प्रस्तावों की कुल संख्या	164
उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम में लंबित प्रस्तावों की संख्या	31
न्याय विभाग में लंबित प्रस्तावों की संख्या (डीओजी) जो उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जानी है	75
उच्चतम न्यायालय कॉलोजियम द्वारा सिफारिश किए गए और न्याय विभाग में लंबित प्रस्तावों की संख्या	35
प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए प्रस्तावों की संख्या	03
विधि और न्याय मंत्री को भेजे गए प्रस्तावों की संख्या	13
उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की संख्या	07

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 592
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की शुरुआत

592 श्री के. आर. सुरेश रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि सरकार आईएएस और आईपीएस जैसी केन्द्रीय सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) बोर्ड का गठन करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने एआईजेएस के संगठन चार्ट को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को, सुदृढ करने के लिए उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है । यह एक उचित अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली जैसे कि आईएएस और आईपीएस आदि के माध्यम से चयनित उपयुक्त रुप से अर्हित नए प्रतिभाशाली विधिक व्यक्तियों के प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी, और साथ ही यह समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समावेशन के मुद्दे का समाधान करेगी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि, कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था कि यह संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि वे जिला

न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पदधतियां विकसित कर सकें । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई थी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श समिति और तारीख 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में भी विचार-विर्मश किया गया था ।

पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार एक समान आधार पर पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 593
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

लंबित मामलों में वृद्धि

593. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

श्रीमती छाया वर्माः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लंबित मामलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दर्ज मामलों में अपराध सिद्धि की दर में कमी हो रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : विगत पांच वर्षों के दौरान लंबित मामलों के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाता हुआ एक विवरण **उपाबंध-1** पर है ।

(ग) : राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार एक विवरण **उपाबंध-2** पर संलग्न है ।

****

उपाबंध-1

लंबित मामलों में वृद्धि के सम्बंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 593 जिसका उत्तर 02.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

आज की तारीख तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को दर्शाता हुआ विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल लंबित मामलों की संख्या (31/12/2016 तक) *	कुल लंबित मामलों की संख्या (31/12/2017 तक) *	कुल लंबित मामलों की संख्या (31/12/2018 तक) *	कुल लंबित मामलों की संख्या (31/12/2019 तक) *	कुल लंबित मामलों की संख्या (31/12/2020 तक) *	कुल लंबित मामलों की संख्या (29/11/2021 तक) *
1	उत्तर प्रदेश	5980071	6390684	6987417	7807863	8572092	9041432
2	आंध्र प्रदेश	1077944	1040864	1068400	567096	635220	727611
3	तेलंगाना				580193	674301	755933
4	महाराष्ट्र	3239540	3340050	3531425	3821487	4516311	4572849
5	गोवा	42074	39249	42783	49049	56545	54738
6	दमण व दीव	5486	5295	5468	5344	2777	2658
7	पश्चिमी बंगाल	2728753	2141254	1950492	2048697	2380633	2399026
8	अंदमान व निकोवार	8767	9227	10229	9795	0	0
9	छत्तीसगढ	290434	277338	267429	285025	324273	356639
10	दिल्ली	636121	747704	834813	882366	955850	1028789
11	गुजरात	1822311	1555203	1447459	1595813	1890667	1907636
12	असम	258639	276520	291960	301427	357197	377380
13	नागालैंड़	4430	4749	4994	3361	1539	2456
14	मेघालय	15239	14775	13584	13673	10403	14283
15	मणीपुर	6978	6799	6216	6516	10794	11871
16	त्रिपुरा	148275	107089	58261	27491	41032	38309
17	मिजोरम	4665	5148	6154	6589	4699	5520
18	अरुणाचल प्रदेश	14583	9878	9652	10658	--------	------
19	हिमाचल प्रदेश	235193	234639	256640	293706	416564	417661
20	जम्मू-कश्मीर	145999	161674	163520	172769	215803	230806
21	झारखंड	342768	338680	330607	365642	438567	470985
22	कर्नाटक	1362167	1432952	1494608	1531008	1746886	1750616
23	केरल	1482667	1623212	1652509	1614277	1798342	1874794
24	संघ राज्यक्षेत्र लक्षदीप	357	354	364	397	-----	-----
25	मध्य प्रदेश	1260637	1332566	1354602	1455435	1690053	1712909
26	तमिलनाडु	1071366	1065878	1084286	1137684	1288573	1256991
27	पुडुचेरी	28155	26930	27161	30094	-----	32827
28	ओडिशा	1049325	1178882	1319031	1433522	1382538	1413775
29	बिहार	2128325	2223744	2502204	2714344	3158070	3163980
30	पंजाब	504320	572802	602014	642327	814538	876286
31	हरियाणा	547736	643394	728097	853375	1100904	1200126
32	चंडीगढ	38907	41695	56357	62955	57418	62997
33	राजस्थान	1573986	1635389	1732308	1769823	1830462	1891148
34	सिक्किम	1434	1405	1208	1142	1570	1722
35	उत्तराखंड	190948	210018	232338	195281	260564	283405
36	डीएनएच सील्वासा					3502	3476
37	लद्दाख	----	----	----	----	749	832
	कुल	**28248600**	**28696040**	**30074590**	**32296224**	**36639436**	**37942466**

*डाटा स्रोत भारत का उच्चतम न्यायालय ।
**डाटा स्रोत एनजेडीजी पॉर्टल ।

उपाबंध-2

<u>लंबित मामलों में वृद्धि के सम्बंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 593 जिसका उत्तर 02.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

वर्ष 2016-2018 के दौरान कुल संज्ञेय आईपीसी+एसएलएल अपराधों के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रजिष्ट्रीकृत मामले (सीआर), विचरण के मामले (सीएफटी), दोषसिद्धि के मामले (सीओएन), ऐसे मामले जिनमें विचरण पूरे हो गए (सीटीसी), दोषसिद्धि दर (सीवीआर) और वर्ष के अंत में विचारण के लंबित मामले (सीपीटीईवाई)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016						2017						2018					
		सीआर	सीएफटी	सीओएन	सीटीसी	सीवीआर	सीपीटीईवाई	सीआर	सीएफटी	सीओएन	सीटीसी	सीवीआर	सीपीटीईवाई	सीआर	सीएफटी	सीओएन	सीटीसी	सीवीआर	सीपीटीईवाई
1	आंध्र प्रदेश	129389	287366	31940	84519	37.8	178753	148002	304133	50524	97953	51.6	160252	**144703**	289879	52998	95472	55.5	163977
2	अरुणाचल प्रदेश	2700	23901	137	513	26.7	22866	2746	24318	19	190	10.0	24037	**2817**	25545	171	436	39.2	25069
3	असम	107014	213214	3030	25320	12.0	187894	109952	232864	2156	17351	12.4	215470	**120573**	273333	2068	33141	6.2	234394
4	बिहार	189696	1039866	7232	46541	15.5	993193	236055	1178724	5336	67233	7.9	1111491	**262815**	1309398	4800	20138	23.8	1288213
5	छत्तीसगढ	84192	278344	43749	73806	59.3	204523	90516	291192	42780	68318	62.6	217064	**98233**	302558	43908	75242	58.4	224965
6	गोवा	3706	18723	331	2090	15.8	16549	3943	19894	426	2650	16.1	17155	**3884**	20544	359	1962	18.3	18473
7	गुजरात	435422	2691270	115439	235885	48.9	2454256	334799	2813415	76047	202197	37.6	260397	**393194**	2973868	88141	204997	43.0	2767359
8	हरियाणा	143111	261955	28362	65026	43.6	196929	224816	273972	35230	80742	43.6	193196	**191229**	267715	27023	65710	41.1	201987
9	हिमाचल प्रदेश	17249	110387	3134	8825	35.5	100224	17796	114126	2890	8369	34.5	103698	**19594**	119774	2848	7513	37.9	110821
10	झारखंड	47817	124948	4798	19534	24.6	105201	52664	132530	5362	14941	35.9	116218	**55664**	148289	4831	16841	28.7	130632
11	कर्नाटक	179479	482497	52450	98973	53.0	377376	184063	536738	60549	107178	56.5	420660	**163416**	558457	45054	87990	51.2	463406
12	केरल	707870	2044048	487841	521562	93.5	1511367	653500	1849714	415057	445284	93.2	1385418	**512167**	1905367	490280	523436	93.7	1373841
13	मध्य प्रदेश	365154	1018016	161158	234766	68.6	742026	379682	1088364	169556	245423	69.1	795227	**405129**	1156295	187198	266396	70.3	850207
14	महाराष्ट्र	430866	3009999	70665	182772	38.7	2808571	467753	3175405	57488	198760	28.9	2948373	**515674**	3317942	79613	218404	36.5	3080657
15	मणिपुर	4098	7105	207	316	65.5	6784	4250	7772	275	325	84.6	7356	**3781**	8159	324	411	78.8	7677
16	मेघालय	3582	16981	916	1469	62.4	15366	3952	17011	165	560	29.5	16432	**3482**	17521	189	598	31.6	16865
17	मिजोरम	2800	4303	1756	1875	93.7	2418	2738	3433	1871	1999	93.6	1431	**2351**	3541	920	983	93.6	2556
18	नगालैंड	1908	2988	732	1098	66.7	1886	1553	3074	797	987	80.7	2029	**1775**	3233	796	900	88.4	2331
19	ओडिशा	103565	632148	5891	47847	12.3	583901	103866	675885	2763	27388	10.1	648495	**107408**	738583	1343	33968	4.0	704615
20	पंजाब	57739	156628	20157	40649	49.6	115691	70673	130369	18903	38326	49.3	91229	**70318**	146438	20446	40320	50.7	105440
21	राजस्थान	251147	766537	87951	123791	71.0	631962	245553	793123	103095	142167	72.5	642889	**250546**	806863	87466	122903	71.2	674954
22	सिक्किम	1020	1527	170	457	37.2	1064	979	1067	121	320	37.8	737	**869**	1276	94	370	25.4	897
23	तमिलनाडु	467369	834600	298739	374710	79.7	458273	420876	826060	255170	330374	77.2	484466	**499188**	942547	340924	416311	81.9	521520
24	तेलंगाना	120273	323137	20177	58337	34.6	248428	133197	341507	27227	74811	36.4	224142	**126858**	319601	23216	61507	37.7	228248
25	त्रिपुरा	4081	18517	616	2397	25.7	14980	4238	17993	532	1891	28.1	15092	**6078**	18484	455	1739	26.2	15890
26	उत्तर प्रदेश	494025	2178263	172106	211726	81.3	1962294	600082	2376473	244356	292593	83.5	2083571	**585157**	2510746	230952	278207	83.0	2225499
27	उत्तराखंड	16074	54252	8814	11846	74.4	42396	28861	64391	4787	5774	82.9	58610	**34715**	84132	5815	7362	79.0	76761
28	पश्चिम बंगाल	204400	1344333	5706	42203	13.5	1302064	195537	1267028	5665	35697	15.9	1231273	**188063**	1398963	6751	35361	19.1	1363381
	कुल राज्य	**4575746**	**17945853**	**1634204**	**2518853**	**64.9**	**15287235**	**4722642**	**18560575**	**1589147**	**2509801**	**63.3**	**15816408**	**4769681**	**19669051**	**1748983**	**2618618**	**66.8**	**16880635**
29	अंडमान और	2491	28849	1583	1919	82.5	26927	3014	19123	1775	2080	85.3	17021	**3699**	20698	1348	1527	88.3	19164

	निकोबार द्वीपसमूह																		
30	चंडीगढ़	4256	9107	2071	3211	64.5	5842	5462	9565	2121	3115	68.1	6345	**5967**	11154	2951	3693	79.9	7391
31	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	543	3521	29	351	8.3	3160	691	3746	43	663	6.5	3046	**649**	3569	59	847	7.0	2696
32	दिल्ली	216920	252208	12461	23608	52.8	226781	244714	289420	16713	25724	65.0	257184	**262612**	323632	15736	25910	60.7	292737
33	जम्मू - कश्मीर	26624	111083	5001	12094	41.4	95630	25608	115347	5599	13122	42.7	98431	**27276**	117889	5477	14229	38.5	99312
34	लद्दाख			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-
35	लक्षद्वीप	50	157	41	62	66.1	95	114	120	0	0	-	120	**77**	173	0	0	-	172
36	पुदुचेरी	4885	8136	1412	1520	92.9	6606	4799	11158	1503	1597	94.1	8384	**4674**	11896	1081	1287	84.0	10596
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**255769**	**413061**	**22598**	**42765**	**52.8**	**365041**	**284402**	**448479**	**27754**	**46301**	**59.9**	**390531**	**304954**	**489011**	**26652**	**47493**	**56.1**	**432068**
	कुल (अखिल भारत)	**4831515**	**18358914**	**1656802**	**2561618**	**64.7**	**15652276**	**5007044**	**19009054**	**1616901**	**2556102**	**63.3**	**16206939**	**5074635**	**20158062**	**1775635**	**2666111**	**66.6**	**17312703**

स्रोत: भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

नोट: '+' तत्कालीन दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का संयुक्त डेटा

*'लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू - कश्मीर राज्य का डेटा

वर्ष 2019-2020 के दौरान कुल संज्ञेय आईपीसी+एसएलएल अपराधों के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रजिस्ट्रीकृत मामले (सीआर), विचरण के मामले (सीएफटी), दोषसिद्धि के मामले (सीओएन), ऐसे मामले जिनमें विचरण पूरे हो गए (सीटीसी), दोषसिद्धि दर (सीवीआर) और वर्ष के अंत में विचारण के लंबित मामले (सीपीटीईवाई)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019						2020					
		सीआर	सीएफटी	सीओएन	सीटीसी	सीवीआर	सीपीटीईवाई	सीआर	सीएफटी	सीओएन	सीटीसी	सीवीआर	सीपीटीईवाई
1	आंध्र प्रदेश	145751	280033	36690	76199	48.2	172413	238105	292833	49567	69555	71.3	199977
2	अरुणाचल प्रदेश	2877	26191	53	137	38.7	26038	2503	27377	15	55	27.3	27322
3	असम	132783	295547	1791	25857	6.9	269417	121609	322907	855	15445	5.5	307413
4	बिहार	269109	1479260	3784	23176	16.3	1452421	257512	1626699	1406	4486	31.3	1620938
5	छत्तीसगढ	96561	307935	44131	76647	57.6	228877	103173	304746	26117	40956	63.8	262365
6	गोवा	3727	21642	376	2253	16.7	19167	4366	22909	224	1409	15.9	21430
7	गुजरात	431066	3186806	141026	282709	49.9	2902474	699619	3579628	47003	94418	49.8	3481136
8	हरियाणा	166336	270986	25508	61840	41.2	209129	192395	279643	7694	14158	54.3	265473
9	हिमाचल प्रदेश	19924	128364	3132	7967	39.3	118401	20630	136367	2789	4914	56.8	130153
10	झारखंड	62206	160754	6362	18819	33.8	141409	63570	183189	7901	16287	48.5	166600
1 1	कर्नाटक	163691	585244	42015	94586	44.4	479888	150080	594690	37783	61147	61.8	524163
12	केरल	453083	1802714	480372	507375	94.7	1284955	554724	1819225	258010	284473	90.7	1525584
13	मध्य प्रदेश	395619	1200309	189063	270582	69.9	889398	428046	1279437	139227	174519	79.8	1090874
14	महाराष्ट्र	509433	3472160	93517	212771	44.0	3240979	539003	3632570	42387	81438	52.0	3544630
15	मणिपुर	3661	8539	331	512	64.6	7977	2986	8453	55	98	56.1	8338
16	मेघालय	3897	19617	2266	4129	54.9	15469	3744	16809	215	948	22.7	15806
17	मिजोरम	2880	4482	1430	1507	94.9	2968	2289	4711	1186	1259	94.2	3436
18	नगालैंड	1661	3457	727	824	88.2	2631	1511	3573	392	458	85.6	3108
19	ओडिशा	121525	805781	8194	23926	34.2	781850	134230	887066	1934	10712	18.1	876354
20	पंजाब	72855	158470	19732	38457	51.3	119423	82875	178495	7246	11676	62.1	166735
21	राजस्थान	304394	857395	105691	141071	74.9	706127	260378	870535	73514	98152	74.9	765514
22	सिक्किम	821	1365	35	151	23.2	1210	675	1588	25	130	19.2	1437
23	तमिलनाडु	455094	902609	258834	316327	81.8	582990	1377681	1140418	161272	194266	83.0	943959
24	तेलंगाना	131254	335377	22983	52916	43.4	247106	147504	372306	26128	40159	65.1	309990
25	त्रिपुरा	5988	19719	606	2505	24.2	16463	4653	20171	249	708	35.2	19295
26	उत्तर प्रदेश	628578	2679028	200031	268798	74.4	2405617	657925	2956003	197188	254421	77.5	2698117
27	उत्तराखंड	28268	99523	11024	13761	80.1	85713	57332	136961	3698	4626	79.9	132323
28	पश्चिम बंगाल	188049	1526519	6241	39325	15.9	1486521	182367	1642255	2147	15068	14.2	1626635
	कुल राज्य	**4801091**	**20639826**	**1705945**	**2565127**	**66.5**	**17897031**	**6291485**	**22341564**	**1096227**	**1495941**	**73.3**	**20739105**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4034	22998	2072	2292	90.4	20697	2542	23316	1287	1391	92.5	21905

30	चंडीगढ़	4518	10476	2184	2874	76.0	7552	3254	9604	954	1255	76.0	8305
31	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	660	3174	28	699	4.0	2451	533	2901	18	260	6.9	2626
32	दिल्ली	316261	359914	19898	33339	59.7	322841	266070	407114	22216	26283	84.5	378235
33	जम्मू -कश्मीर	25408	118819	6936	13958	49.7	100882	28911	117756	4177	6911	60.4	109379
34	लद्दाख			-	-	-	-	403	786	274	292	93.8	484
35	लक्षद्वीप	182	195	0	2	0.0	193	147	225	2	3	66.7	222
36	पुदुचेरी	4004	13916	927	1073	86.4	12843	7940	17629	1096	2720	40.3	12843
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	**355067**	**529492**	**32045**	**54237**	**59.1**	**467459**	**309800**	**579331**	**30024**	**39115**	**76.8**	**533999**
	कुल (अखिल भारत)	**5156158**	**21169318**	**1737990**	**2619364**	**66.4**	**18364490**	**6601285**	**22920895**	**1126251**	**1535056**	**73.4**	**21273104**

स्रोत: भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

नोट: '+' वर्ष 2019 के दौरान तत्कालीन दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र और दमन और दीव यूटी का संयुक्त डेटा

*2019'लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू - कश्मीर राज्य का डेटा

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 597
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के परिसर की स्थापना

597 श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का केवल एक ही परिसर है जो पूरे देश की आवश्कताओं को पूरा करता है ;
(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा मौजूदा परिसर पर काम के अत्यधिक भार को कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कुर्नूल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए परिसर की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और
(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त अनुरोध की प्रतिक्रिया के रूप में क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी, हां । राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल, मध्य प्रदेश में अवस्थित एकल परिसर संस्था है । यह उस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, अपने दायित्वों और उत्तरदायित्वों का निर्बाध रुप से और प्रभावी रुप से निर्वहन कर रही है । इसके अतिरिक्त, भारत में 24 राज्य न्यायिक अकादमियां हैं ।

(ग) : जी नही ।

(घ) : उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 598
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना

598 श्री वाइको :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा महसूस किए अनुसार, देश में निचली अदालतों के स्तर पर अवसंरचना की स्थिति आवश्यकता के अनुसार अपर्याप्त है, यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) कितने प्रतिशत निचली अदालतों में महिलाओं हेतु अलग शौचालय उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) सरकार द्वारा कार्य की सुगमता सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक अवसंरचना में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आगामी पाँच वर्षों में राज्यों को सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु कितनी निधियां प्रदान की गई हैं या प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास, का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्धन करने के लिए, संघ सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्र और राज्यों के बीच विहित सहभाजन पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। यह स्कीम वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है । केन्द्रीय सरकार ने आज तारीख तक, इस स्कीम के अधीन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को 8709.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए है । इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय वास-सुविधा के सन्निर्माण के लिए निधियां जारी की जाती है । सरकार ने 9000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उपरोक्त स्कीम को 1.4.2021 से 31.3.2026 तक और 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया है, जिसमें 5307 करोड़ रुपये का केन्द्रीय सहभाजन भी सम्मिलित है । इस स्कीम संघटक अतिरिक्त रूप से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षो और वकीलों के हॉल के सन्निर्माण को भी विस्तारित करते है और 47 करोड़ रुपये जिला और अधीनस्थ

न्यायालयों में शौचालय परिसरों के सन्निर्माण के लिए आबंटित करते है । उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा संकलित आंकड़े के अनुसार, 26 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में अलग से महिला शौचालय नहीं है ।

उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.10.2021 से आज तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 20,565 न्यायालय हॉल और 18,142 आवासीय ईकाइंया उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त,2841 न्यायालय हॉल और 1807 आवासीय ईकाइयां सन्निर्माणाधीन है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 600
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायपालिका में महिलाओं को सम्मिलित किया जाना

600 डा. अमर पटनायक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च न्यायालयों के 25 मुख्य न्यायाधीशों में से केवल 1 ही महिला है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए जा रहे एक सर्वेक्षण के अनुसार 16 प्रतिशत न्यायालयों में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध नहीं हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार के पास न्यायालयों तक महिलाओं और उभयलिंगी व्यक्तियों की पहुँच को और अधिक सुगम बनाने हेतु कोई कार्य योजना है ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारंभ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाता है । उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई उपबंध नहीं करता है । वर्तमान में, किसी उच्च न्यायालय की कोई महिला मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है ।

(ग) से (च) : उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना की प्रास्थिति का डाटा संकलित किया है जिससे प्रकट होता है कि 26% न्यायालय परिसरों में पृथक् महिला शौचालय नहीं है । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों में निहित होती है । राज्य सरकारों के संसाधनों के संवर्धन के लिए संघ सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचनात्मक प्रसुविधा के विकास हेतु विहित किए गए निधि बंटवारा पेटर्न में राज्य सरकारों/ संघ सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करके एक

केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । । केंद्रीय सरकार ने आज तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को इस स्कीम के अधीन 8709.77 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं । यह स्कीम समय-समय पर विस्तारित की गई है । इस स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासिक आवासों और न्यायालय भवनों के संनिर्माण के लिए निधियां जारी की गई हैं । सरकार ने 01.04.2021 से 31.03.2026 तक, 9000 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत केंद्र का 5307 करोड़ रुपए का अंश भी है, के कुल बजटीय परिव्यय के साथ पांच वर्ष की और अवधि के लिए उपरोक्त स्कीम का विस्तार किया है । इस स्कीम के संघटकों का विस्तार शौचालयों, डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों के हालों का सन्निर्माण को आविष्ट करने के लिए भी किया गया है और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में परिसरों में शौचालयों के सन्निर्माण हेतु 47.00 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *124
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना किया जाना

124 श्री टी.जी. वेंकटेश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश के न्यायालयों के पास शौचालय, प्रतीक्षालय और अपने स्वयं के भवन जैसी समुचित सुविधाएं नहीं है जिसका गुणवत्तापूर्ण न्याय प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि समय-समय पर इन मामलों पर ध्यान देने के लिए पृथक् राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना कर न्यायिक अवसंरचना का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाए,

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर विवरण रख दिया गया है ।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *124, जिसका उत्तर 9 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना की प्रास्थिति और न्यायालय संबंधी सुख सुविधाओं, जिसके अंतर्गत वकीलों और मुवक्किलों के लिए शौचालयों और प्रतीक्षालयों की कमी भी है, पर डाटा संकलित किया है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसरंचना की व्यवस्था हेतु भारत का राष्ट्रीय न्याय अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार एक शासी निकाय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति मुख्य संरक्षक के रुप में होंगे । इस प्रस्ताव की अन्य मुख्य बातें यह हैं कि एनजेआईएआई, सभी उच्च न्यायालयों के अधीन उसी प्रकार की अवसंरचनओं के अतिरिक्त भारतीय न्याय तंत्र के लिए कार्यात्मक अवसंरचना की योजना बनाने, सृजन, विकास और अनुरक्षण और व्यवस्था के लिए कार्य योजना अधिकथित करने वाले एक केन्द्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा । यह प्रस्ताव, विषय पर सुविचार-दृष्टिकोण लेने में सक्षम करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रस्ताव की रुपरेखा पर उनके विचारों के लिए भेजा गया है क्योंकि वें महत्वपूर्ण पणधारी हैं।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों में निहित है । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्द्धन करने के लिए, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास हेतु विहित किए गए निधि सांझा पैटर्न में राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करके केन्द्रीयकृत प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । आज तक, केन्द्रीय सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को इस स्कीम के अधीन 8709.77 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिसमें से 5265.00 करोड़ रुपये वर्ष 2014-15 से जारी किए गए हैं जो इस स्कीम के अधीन कुल जारी का लगभग 60.45 प्रतिशत है । वित्तीय 2021-22 के दौरान बजट अनुमानित (बीई) स्तर पर इस स्कीम के लिए 776 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे जिसमें से आज तक, 384.50 करोड़ रुपये (लगभग 50 प्रतिशत) जारी किए जा चुके हैं । यह स्कीम समय समय पर बढ़ाई गई है । इस स्कीम के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों और न्यायालयों भवनों के संन्निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां जारी की जाती हैं ।

यह स्कीम समय समय पर विस्तारित की गई है। यह स्कीम वर्ष 2017 में, 3320 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 1.4.2017 से 31.3.2020 तक 3 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी । यह स्कीम एक वर्ष के लिए अर्थात् 31.3.2021 तक पुन:बढ़ाई गई थी । इस स्कीम का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया गया था उसने भी इसके जारी रखने की सिफारिश की थी । सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के लिए, 1.4.2021 से 31.3.2026 तक, 9000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ जिसके अंतर्गत 5307 करोड़ रुपये का केन्द्रीय हिस्सा भी है, के साथ इस सीएसएस को जारी रखने का अनुमोदन किया है जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हालों और आवासीय इकाइयों (4500 करोड़ रूपये) के अतिरिक्त शौचालयों (47 करोड़ रूपये) तथा डिजिटल कंप्यूटर कक्षों (60 करोड़ रूपये) और वकीलों के हालों (700 करोड़ रूपये) के निर्माण को भी सम्मिलित करने के लिए स्कीम के संघटकों को बढ़ा दिया गया है ।

उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में नयाधीशों के 24,485 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 19,292 कार्यरत पद संख्या है और इस समय, 1.12.2021 को 20,595 न्यायालय हॉल (जिसके अंतर्गत 556 किराए पर हैं) और 18,087 आवासीय इकाइयां उपलब्ध है। इसके अलावा, 2,846 न्यायालय हॉल और 1,775 आवासीय इकाइयां सन्निर्माणाधीन हैं । अत:,यह देखा जा सकता है कि इस समय न्यायालय हॉल, वर्तमान कार्यरत पद संख्या से अधिक उपलभ्य है किंतु न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या से कम हैं ।

इस स्कीम के विस्तार और नई बातों के पुर:स्थापन के अनुसरण में, न्याय पालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीयकृत प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 19.8.2021 को पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए हैं । मार्गदर्शक सिद्धांत, सुरक्षित अवसंरचना निर्माण सुनिश्चित करने और अन्य अपेक्षित पूर्व-अध्यपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु आपदा प्रबंधन पर अनुदेशों की अनुपालना का उपबंध भी करती हैं जिसके लिए इन अवसंरचनाऑ के आपदा प्रतिरोधी होने के अतिरिक्त, सभी भवनों में आपदा प्रबंधन कार्य योजना भी होनी चाहिए । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को यह भी सुनिश्चित करना है कि न्यायालय डिजाइनों में दिव्यांगजन अनुकूलन/ पहुंच मानकों को सुनिश्चित किया गया है । इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में लचीली निधि प्रसुविधा भी सम्मिलित की गई है ।

लचीली निधि स्कीम के अधीन, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र यदि चाहें तो आबंटित निधियों को (राज्यों की दशा में 25% और संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में 30 %), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य का हिस्सा भी है, किसी उप-स्कीम या अभिनव या संघटक पर खर्च किए जाने वाली लचीली निधि के रुप में अलग रख सकते हैं जो केन्द्रीयकृत प्रायोजित स्कीम के अनुमोदित उद्देश्य और समग्र लक्ष्य के अनुरूप है। राज्य, निधि का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं को और अपेक्षाओं जैसे जलवायु, मौसम आदि की स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में स्वनिर्धारित अपेक्षाओं या विशेष स्थानीय मांगों जैसे वकीलों के भवन और परामर्श लॉज, मुवक्किलों के प्रतीक्षालय, पुस्तकालय परिसर आदि को पूरा करने के लिए निधियां प्रयोग कर सकता है।

इस स्कीम के अधीन परियोजनाओं की प्रास्थिति की मॉनीटरी करने के लिए, निम्नलिखित तीन विस्तृत मॉनीटरी प्रणालियां गठित की गई हैं; -

(क) : राज्य उच्च न्यायालय स्तर मॉनीटरी समिति, जिसकी संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा अध्यक्षता की जाएगी और जिसमें उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, राज्य के विधि/गृह सचिव और राज्य पीडब्ल्यूडी के सचिव समिति के सदस्य के रुप में होंगे । समिति को न्यायालय हॉलो, वकीलों के हालों ,शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय इकाइयों के सन्निर्माण की भौतिक और वित्तीय प्रगति का प्रत्येक छह मास में समीक्षा करनी होगी ।

(ख) : न्याय विभाग में केन्द्रीय स्तर मानीटरी समिति होगी जिसकी अध्यक्षता सचिव(न्याय विभाग, भारत सरकार) द्वारा की जाएगी और जिसमें सभी राज्यों (विधि/गृह विभाग, उच्च न्यायालय और पीडब्ल्यूडी) के प्रतिनिधि, संबद्ध संयुक्त सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार), वित्तीय सलाहकार (विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार) सदस्य के रुप में सम्मिलित होंगे और संबद्ध उप सचिव (न्याय विभाग) संयोजक होगा । समिति, प्रत्येक छह मास में न्यायिक

अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों और न्यायालय हॉलों, वकीलों के हॉलो, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के सन्निर्माण की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगी । चालू वित्तीय वर्ष में, 10-17 मई, 2021; 10 जून, 2021; 16-23 सितंबर, 2021; 25 अक्तूबर, 2021 और 10 नवंबर, 2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसी कई बैठकें आयोजित की गई हैं ।

(ग) : ऑनलाइन मानीटरी तंत्र, इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, की तकनीकी सहायता से आवासीय इकाइयों और न्यायालय हॉलो के पूर्ण होने और प्रगति पर डाटा संग्रहण किया गया है । अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का न्याय विकास पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन मानीटरी के लिए लाभ उठाया गया है । इस प्रयोजन के लिए, वैब पोर्टल और मोबाइल ऐप अर्थात "न्याय विकास" सन्निर्माण परियोनाओं की मानीटरी के लिए विकसित किए गए हैं जिसे 2018 में प्रारंभ किया गया था । राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और सर्वेक्षक तथा माडरेटर प्रत्येक परियोजना के लिए जारी और पूर्ण परियोजनाओं से संबंधित जानकारी और डाटा प्रविष्ट और अपलोड करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए हैं। न्याय विकास मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके, परियोजनाओं के जियोटैगिंग ने न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं की बेहतर मानीटरी में सहायता की है । राज्यों में उपयोक्ता वैब पोर्टल के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करते हैं और जियोटैगिंग के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड करते हैं । "न्याय विकास वर्जन –2", उन्नत विशेषताओं के साथ अप्रैल, 2020 में प्रारम्भ किया गया है । मोबाइल ऐप का नया वर्जन जो अप्रैल, 2020 में प्रारंभ किया गया था अधिक उपयोक्ता अनुकूल है और आईओएस फोनों के साथ एंडरॉयड प्रणाली पर भी चलता है । मोबाइल एपलीकेशन राज्य सर्वेक्षकों द्वारा जियो टैग करने के लिए और सुदूर अवस्थानों से फोटो अपलोड करने के लिए अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी के माध्यम से लंबाई –चौड़ाई सहित फोटो अपलोड करने के लिए प्रयोग की जा रही है । डाटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन तकनीक का इस पोर्टल पर प्रयोग किया गया है। इस पोर्टल का डैश बोर्ड लोक अधिकारिता में सीएसएस परियोजनाओं की प्रगति पर डाटा उपलब्ध करता है। 1.12.2021 तक, 6089 न्यायालय हॉल (पूर्ण और सन्निर्माणाधीन) और 4813 आवासीय ईकाइयां (पूर्ण और सन्निर्माणाधीन) पहले से ही जियो टैग किए गए हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1394
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरा जाना

1394 श्री कनकमेंदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिक से अधिक 17 पद रिक्त पड़े हैं, जो न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित करता है और परिणामस्वरूप मामलों का बैकलॉग होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन रिक्त पदों और अन्य उच्च न्यायालयों में पड़े रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए कोई ठोस कदम उठाए है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : तारीख 06.12.2021 तक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 37 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के समक्ष न्यायाधीशों के 19 ऐसे रिक्त पदों को जिन्हें भरा जाना है, को छोड़कर 18 न्यायाधीश पद पर हैं ।

वर्ष 2018 से, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 11 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं । तारीख 12.08.2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए 8 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है जो सरकार के समक्ष प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों के अधीन है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा रिक्तियों के होने से 6 माह पूर्व उच्च न्यायालय में किसी न्यायधीश की नियुक्ति को भरने का प्रस्ताव का आरंभ किया जाना अपेक्षित है । सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप में केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा की जाती है । वर्तमान में 159 प्रस्ताव सरकार

और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के प्रकृमों हैं । उच्च न्यायालयों में 246 रिक्तियों के संबंध में, उच्च न्यायालय कॉलेजियम से और सिफारिशें अभी प्राप्त होनी है। उच्च न्यायालय में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केन्द्रीय स्तर दोनों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । यद्यपि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, न्यायाधीशों की सेवानिवृति, त्याग पत्र, या उन्नयन के कारण और न्यायाधीशों की पद संख्या में वृदधि के कारण भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां लगातार उद्भूत होती रहती हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1396
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

ई-शासन और ई-कोर्ट

1396 श्री सुभाष चंद्र सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर, गुवाहाटी, जोधपुर और रायपुर में ई-कोर्ट की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ओडिशा सहित अन्य राज्यों में ई-कोर्ट की स्थापना करने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जबलपुर, गुवाहाटी, जोधपुर और रायपुर के जिलों और तालुका न्यायालयों को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कम्प्यूटरीकृत किया गया है और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के साथ जोड़ा गया है ।

(ख) से (घ) : सरकार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए उड़ीसा सहित पूरे देश में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को लागू कर रही है । 01.12.2021 तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, बढ़कर 18,735 हो गई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्लू ए एन कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है । मामला सूचना साफ्टवेयर का नया और उपयोगकर्ता के अनुकूल संस्करण सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में विकसित और विस्तारित किया गया है । न्यायिक अधिकारियों सहित सभी पणधारी राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च-न्यायालयों की न्यायिक कार्यावाहियां और निर्णयों से संबंधित जानकारी तक पहुंच सकते हैं । 03.12.2021 तक, मुवक्किल 19.76 करोड़ से अधिक मामलों की स्थिति और इन न्यायालयों से संबंधित 15.99 करोड़ आदेशों/निर्णयों तक पहुंच सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे मामले के रजिस्ट्रीकरण का विवरण, मामला सूची, मामले की स्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय वेब पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जे एस सी) ई-

न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एस एम एस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 2018 में आरंभ की गई ई-फाइलिंग प्रणाली को विकसित और उपयोगकर्ता के अनुकूल विशेषताओं के साथ संस्करण 3.0 में उन्नत किया गया है । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया । कोविड-19 की चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालने और आभाषी सुनवाई के संक्रमण को आसान बनाने के लिए, न्यायालय परिसरों पर 235 ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध करायी गई हैं ताकि जरुरतमंद वकीलों और मुवक्किलों को मामले की स्थिति, निर्णयों/आदेशों, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं को आसान बनाया जा सके । आभासी सुनवाई को आसान बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों मे वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में उपकरण उपलब्ध करना के लिए 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में यातायात अपराधों के लिए पन्द्रह आभासी-न्यायालय की स्थापना की गई है । 03,12.2021 तक, ये न्यायालय 1.07 करोड़ मामलों को निपटाया और 201.96 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूले । उड़ीसा में आभासी न्यायालय की शुरुआत अगस्त, 2021 में हुई थी ।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग कोविड लाकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रुप में उभरी क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक ढंग में सामान्य न्यायालय कार्यवाही संभव नहीं थी । जब से कोविड लाकडाउन शुरु हुआ, 31.10.2021 तक, केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च-न्यायालय ने 55,24,021 मामलों (कुल 1.57 करोड़) की सुनवाई की । उच्चतम न्यायालय ने लाकडाउन की अवधि आरंभ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां की । उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 23.03.2020 से 31.10.2021 तक 2,18,073 मामलों की सुनवाई की जबकि उड़ीसा के जिला न्यायालयों ने 01.03.2020 से 31.10.2021 (कुल 3,99,726) तक 1,18,653 मामलों की सुनवाई की ।

उड़ीसा उच्च-न्यायालय में 02.08.2021 से मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग क्रियाशील है । वकीलों और मुवक्किलों को अपने स्मार्टफोन की सुविधा से मामलों और न्यायालयों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए उच्च न्यायालय का ई-मेल मोबाइल ऐप 02.08.2021 को प्रारंभ किया गया था । मामले की स्थिति, वाद सूची, फाइल किए गए नए मामले, निर्णय/आदेश, दोष स्थिति, प्रमाणित की स्थिति प्रदान करने के अतिरिक्त, मोबाइल ऐप में न्यायालय के सभी पीठों के लिए लाइव डिस्प्ले बोर्ड और डिजिटल नोटिस बोर्ड भी है । उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को खोजने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा परिकल्पित 'फ्री टेक्स्ट सर्च' सुविधा को सुविधाजनक पहुंच के लिए उच्च न्यायालय के मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत किया गया है ।

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कागज रहित वातावरण में अधीनस्थ न्यायालयों को उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्णयों के सुरक्षित और तात्कालिक संचार को सुकर बनाने के लिए आर्डर कम्युनिकेशन पोर्टल (ओ सी पी) नामक एक साफ्टवेयर माड्यूल की शुरुआत की है, जिससे संसाधनों और पत्राचार के पारंपरिक तरीकों में लगने वाले समय की बचत होती है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1398
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान किया जाना

1398 ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.) :

श्री विजय पाल सिंह तोमर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में अब भी बहुत सारे मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन मामलों के प्रभावी निपटान हेतु क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) मामलों की तुलना में न्यायाधीशों का मौजूदा अनुपात क्या है और क्या सरकार इन लंबित मामलों के भार को कम करने के लिए देश के घनी आबादी वाले राज्यों में उच्च न्यायालयों की अलग न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई उपाय कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : देश के विभिन्न न्यायालयो में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लम्बन और तारीख
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	70,038 (08.11.2021)*
2	उच्च न्यायालय	56,46,753 (03.12.2021)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,06,15,476 (03.12.2021)**

स्रोत

*भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट

**राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

(ख) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। न्यायालयों में

मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की

वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक मुवक्किल इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की मामला प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आभासी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों

की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
03.12.2021	24,486	19,318

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष

न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ग) और (घ) : मामलों की संख्या के डाटा में निरन्तर विभिन्नता के कारण न्यायधीशों की संख्या का मामलों की संख्या से अनुपात नहीं रखा जाता है । तारीख 31.10.2021 के अनुसार न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के संबंध में न्यायाधीश का जनसंख्या अनुपात (न्यायाधीश/ प्रति दस लाख जनसंख्या) 21.03 है ।

विभाग, विशिष्ट वर्ष में प्रति दस लाख की जनसंख्या के लिए न्यायधीश–जनसंख्या अनुपात की गणना करने के लिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का उपयोग करते हुए और विशिष्ट वर्ष में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार मानदंड प्रयुक्त करता है ।

उच्च न्यायालय की न्यायपीठें/न्यायपीठों जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिट याचिका(सी) संख्या 2000 का 379 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्घोषित निर्णय के अनुसार,) और उस राज्य सरकार जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचनात्मक प्रसुविधाएं उपलब्ध करानी है, के किसी पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात और संबंधित उच्च न्यायालय के उस मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के साथ जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदन का प्रशासन किया जाना अपेक्षित है, स्थापित की जाती है । प्रस्ताव में संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए। वर्तमान में सरकार के समक्ष कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1400
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायिक नियुक्तियां

1400 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017 से सरकार को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित कितनी न्यायिक नियुक्तियां की गई हैं ;

(ख) सरकार द्वारा कितनी नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गई हैं ;

(ग) वर्तमान में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितनी रिक्तियां है ;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रक्रिया विषयक ज्ञापन और मेसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसाओं को दोहराता है, तो सरकार को कॉलेजियम की अनुशंसाओं को 3 से 4 सप्ताह में संस्वीकृत करना होगा ; और

(ङ) यदि हाँ, तो न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई और अभी तक लंबित अनुशंसाओं की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : तारीख 01.01.2017 से तारीख 06.12.2021 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए 32 सिफारिशें की थी और सभी 32 नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालय के संबंध में एससीसी ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए तारीख 01.01.2017 से तारीख 06.12.2021 की अवधि के दौरान 532 सिफारिशें की थी । तथापि, 490 सिफारीशियों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त किया गया था जिसके अंतर्गत इस अवधि से पूर्व एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सम्मलिति है । तारीख 06.12.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 01 रिक्ति है और उच्च न्यायालयों में 403 रिक्तियां हैं। वर्तमान में, 159 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच विभिन्न चरणों में है । शेष 244 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं ।

(घ) से (ङ) : सरकार को, दोहराए हुए मामलों का निपटान करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स और अन्य में तारीख 20.04.2020 के अपने आदेश में अधिकथित की गई अतिरिक्त समय-सीमा की, जानकारी है तारीख 06.12.2021 तक उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 23 मामले सरकार के समक्ष लंबित है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *200
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थिति

200 श्री के. सी. राममूर्ति :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के लाभ और हानि क्या-क्या है;

(ख) क्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करने के संबंध में राज्यों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ;

(ग) क्या कुछ राज्य और उच्च न्यायालय इस कदम का विरोध कर रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) विभिन्न राज्यों और उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचार का राज्य-वार और उच्च न्यायाल-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा एआईजेएस की प्रक्रिया पुनः शुरु किए जाने के बाद से वह विरोध करने वाले राज्यों और उच्च न्यायालयों को एआईजेएस के पक्ष में किस प्रकार राजी करने की योजना बना रही हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थिति’ से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *200 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में निर्दिष्ट विवरण

सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को, सुदृढ करने के लिए उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है । यह एक उचित अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त रुप से अर्हित नए प्रतिभाशाली विधिक व्यक्तियों के प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी, और साथ ही यह समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समावेशन के मुद्दे का समाधान करेगी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । देश की सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अतिरिक्त यह न्यायपालिका में सीमांत वर्ग के सक्षम व्यक्तियों और महिलाओं के समावेशन को भी सुकर बना सकेगा । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि, कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे। जहां तक कि राज्यों का संबंध है, दो राज्य अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के पक्ष में हैं, आठ राज्य उसके पक्ष में नहीं हैं, पांच राज्य प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते हैं और तेरह राज्यों से उत्तर प्रतिक्षित है **(उपाबंध-1)** । जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, दो उच्च न्यायालय अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के पक्ष में हैं, तेरह राज्य उसके गठन के पक्ष में नहीं हैं, छह राज्य प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते हैं और दो राज्यों से अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं **(उपाबंध-2)**।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था कि यह संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि वे जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पदधतियां विकसित कर सकें । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई थी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में

पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श समिति और तारीख 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में भी विचार-विर्मश किया गया था ।

पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार एक समान आधार पर पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

****

उपाबंध-1

क. ए आई जे एस के गठन के विषय में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया

ए आई जे एस के गठन के पक्ष में राज्य	
(i) हरियाणा (प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है) (ii) मिजोरम	2
राज्य जो ए आई जे एस के गठन के पक्ष में नहीं हैं	
(i) अरुणाचल प्रदेश (ii) हिमाचल प्रदेश (iii) कर्नाटक (iv) मध्य प्रदेश (v) महाराष्ट्र (vi) मेघालय (vii) नागालैंड (viii) पंजाब	8
राज्य, जो प्रस्ताव में बदलाव चाहते हैं ।	
(i) बिहार (ii) छत्तीसगढ़ (iii) मणिपुर (iv) उड़ीसा (v) उत्तराखंड	5
राज्य जिन्हे ए आई जे एस के गठन पर प्रतिक्रिया देनी है	
(i) गुजरात (ii) झारखंड (iii) राजस्थान (iv) तमिलनाडु (v) असम (vi) आंध्रप्रदेश (vii) केरल (viii) उत्तर प्रदेश (ix) पश्चिमी बंगाल (x) तेलंगाना (xi) गोआ (xii) सिक्किम (xiii) त्रिपुरा	13
कुल	28

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) के सृजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार करने पर राज्य सरकारों के विचार/ प्रतिक्रियाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	टिप्पणियां
ए आई जे एस के गठन के पक्ष में राज्य		
1.	हरियाणा	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) के सृजन के लिए प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है ।
2.	मिजोरम	मिजोरम की सरकार आई ए एस, आई पी एस और अन्य केन्द्रीय सेवाओं की तरह ए आई

		जे एस के सृजन का समर्थन करती है ।
राज्य जो ए आई जे एस के गठन के पक्ष में नहीं हैं ।		
1.	अरुणाचाल प्रदेश	राज्य का विचार है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश विशुद्ध रुप से एक आदिवासी राज्य है जिसकी अपनी विलक्षण और विशिष्ट आदिवासी रीति-रिवाज और लोकाचार है और न्याय प्रदान करने के तरीके अलग अलग जनजातियों में परिवर्तित होते रहते हैं, सामान्य न्यायिक सेवा होने का प्रस्ताव सही प्रस्ताव नहीं होना चाहिए और यह उनके न्याय प्रशासन में अव्यवस्था और अस्थिरता पैदा करेगा ।
2.	हिमाचल प्रदेश	जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का होना उचित नहीं होगा । जैसा कि, हिमाचल प्रदेश राज्य अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं है ।
3.	कर्नाटक	कर्नाटक की सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए सहमत नहीं है ।
4.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार ने पहले ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को अग्रेषित कर दिया था । उच्च –न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं है ।
5	महाराष्ट्र	राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है । वे चाहते हैं कि जे एम एफ सी स्तर पर भर्ती की जाय ।
6.	मेघालय	राज्य सरकार की राय है कि ए आई जे एस का सृजन वांछनीय नहीं है ।
7.	नागालैंड	नागालैंड के न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती किए जाते हैं। इसलिए, वे आई ए एस/ आई पी एस के बराबर नहीं हो सकते हैं । अखिल भारतीय, न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) के सृजन पर नागालैंड सरकार को संदेह है ।
8.	पंजाब	राज्य सरकार (ए आई जे एस) के सृजन के पक्ष में नहीं है ।
राज्य जो प्रस्ताव में बदलाव चाहते हैं ।		
1.	बिहार	राज्य सरकार निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ ए आई जे एस का सृजन करने के लिए तैयार है: (i) ए आई जे एस को संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुपालन में अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित किया जाए; (ii) ए आई जे एस का प्रवेश स्तर अनुच्छेद 233(2) के अनुसार सहायक सेशन न्यायाधीश के पद से होना चाहिए; (iii) नौजवान व्यक्तियों का चयन करने के लिए सात वर्ष के अनुभव को घटाकर तीन वर्ष किया जाए; (iv) पचास प्रतिशत रिक्तियां प्रौन्नति द्वारा और शेष रिक्तियां यूपीएससी या प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी चाहिए; (v) चयनित अभ्यर्थियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में नियुक्ति और आबंटन अखिल भारतीय सेवा के अनुसार किया जाए तथा उनकी सेवाएं संबद्ध उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन होनी चाहिए और तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 233(2) का संशोधन किया जाना चाहिए; (vi) सीनीयरटी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों और प्रौन्नत किए गए व्यक्तियों की इंटर सीनियरटी के अनुसार नियत की जाए; (vii) शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में सीनीयरटी और उक्त सेवा के सृजन से पहले कार्यरत अपर जिला और सत्र न्यायाधीशों की सेवाओं को अधिमान दिया जाना चाहिए ।
2.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार चाहती है कि केवल 15% अपर जिला जज और उसके ऊपर की रिक्तियों को ए आई जे एस के माध्यम से बार में से भरी जाएं ।
3.	मणिपुर	राज्य सरकार ए आई जे एस के लिए तैयार है लेकिन वह चाहती है कि जिला न्यायाधीश कैडर के केवल 25 प्रतिशत पद ए आई जे एस के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिए और रिक्त पदों में कमी लाने के लिए न्यूनतम 18 माह की प्रशिक्षण अवधि जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा के साथ अनुभव की अवधि को सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया जाना चाहिए ।
4.	उड़ीसा	राज्य सरकार प्रस्ताव में बदलाव चाहती है । यह न्यूनतम दस साल के अनुभव और

		अधिकतम चालीस वर्ष की आयु सीमा पर जोर दे रही है ।
5.	उत्तराखंड	राज्य सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के विचारों से सहमत है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर पर आयु, भर्ती निकाय, अहर्ता, राज्यों को आबंटन, कोटा, प्रशिक्षण, न्यायालय की भाषा आदि में परिवर्तन के लिए सुझाव दिए हैं ।
राज्य जिन्हे ए आई जे एस के सृजन पर प्रतिक्रिया देनी शेष है ।		
1.	गुजरात	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
2.	झारखंड	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
3.	राजस्थान	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
4.	तमिलनाडु	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
5.	असाम	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
6.	आंध्र प्रदेश	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
7.	केरल	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
8.	उत्तर प्रदेश	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
9.	पश्चिमी बंगाल	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
10.	तेलंगाना	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
11.	गोआ	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
12	त्रिपुरा	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।
13.	सिक्किम	कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।

उपाबंध-2

ख. एआईजेएस के गठन के संबंध में उच्च न्यायालयों का प्रतिउत्तर

ऐसे उच्च न्यायालय जो एआईजेएस के गठन के पक्ष में हैं	
(i) सिक्किम (ii) त्रिपुरा	2
ऐसे उच्च न्यायालय जो एआईजेएस के गठन के पक्ष में नहीं हैं	
(i) आंध्र प्रदेश (ii) बॉम्बे (iii) दिल्ली (iv) गुजरात (v) कर्नाटक (vi) केरल (vii) मद्रास (viii) पटना (ix) पंजाब और हरियाणा (x) कलकत्ता (xi) झारखंड (xii) राजस्थान (xiii) ओडिशा	13
ऐसे उच्च न्यायालय, जो प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते हैं	
(i) इलाहाबाद (ii) छत्तीसगढ़ (iii) हिमाचल प्रदेश (iv) मेघालय (v) उत्तराखंड (vi) मणिपुर	6
ऐसे उच्च न्यायालय, जिन्हें प्रतिउत्तर देना है	
(i) गुवाहाटी (ii) मध्य प्रदेश	2
कुल	23

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के सृजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर उच्च न्यायालयों के विचार/प्रतिउत्तर

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ/विचार
ऐसे उच्च न्यायालय जो एआईजेएस के पक्ष में हैं		
1.	सिक्किम	सिक्किम उच्च न्यायालय प्रस्ताव और केंद्रीय सरकार द्वारा सुझाई गई विशेषताओं से भी **सहमत** है।
2.	त्रिपुरा	त्रिपुरा उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में है।
ऐसे उच्च न्यायालय जो एआईजेएस के पक्ष में नहीं हैं		
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकांश माननीय न्यायाधीशों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।
2.	बॉम्बे	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का मुद्दा 20.09.2014 को पूर्ण न्यायालय की बैठक में रखा गया था, जब यह **विनिश्चय** लिया गया था कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश **नहीं** की जाएगी।
3.	दिल्ली	दिल्ली उच्च न्यायालय को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में संदेह है।
4.	गुजरात	गुजरात उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के **पक्ष में नहीं** है।
5.	कर्नाटक	कर्नाटक उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए **सहमत नहीं** है।
6.	केरल	पूर्ण न्यायालय ने स्थानीय भाषा में प्रवीणता के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की, जो अभ्यर्थी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय होनी चाहिए। पूर्ण न्यायालय ने आगे कहा कि पदस्थापन के पश्चात, अधिकारी **भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालय के नियंत्रण** में होंगे और चयन के लिए, अनुच्छेद 233 (2) के अधीन आवश्यक यथा अपेक्षित अर्हता जारी रहेगा।
7.	मद्रास	मद्रास उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में नहीं है
8.	पटना	माननीय उच्च न्यायालय की राय है कि न्यायिक सेवा की **तुलना** सिविल सेवा से **नहीं** की जा सकती है। इसलिए, न्यायालय प्रस्तावित के रूप में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन का **समर्थन नहीं करता** है।
9.	पंजाब और हरियाणा	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय ढांचे को **वास्तविक रूप से नष्ट** कर देगी। राष्ट्रपति (केन्द्रीय सरकार) द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति के साथ 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' का गठन संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित जिला न्यायालयों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण को पूरी तरह से हटा देता है।
10.	कलकत्ता	कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तारीख 24.06.2020 के पत्र के द्वारा कहा है कि संवैधानिक स्कीम ऐसी सेवा की अनुमति नहीं देती है और यह भारत के संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांत का विरोध करेगी।
11.	झारखंड	झारखंड उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के **पक्ष में नहीं** है।
12.	राजस्थान	राजस्थान उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के **पक्ष में नहीं** है
13.	उड़ीसा	उड़ीसा उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के **पक्ष में नहीं** है
ऐसे उच्च न्यायालय जो प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते हैं		
1.	इलाहाबाद	इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए आयु और योग्यता के संबंध में परिवर्तन का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव किया गया है कि जिस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अधिकारी तैनात हैं, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार अधिकारी पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करे।
2.	छत्तीसगढ़	**बार से कुल रिक्ति के 15% की सीमा तक** अखिल भारतीय उच्च न्यायिक सेवाएं हो ।
3.	हिमाचल प्रदेश	उच्च न्यायालय शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अखिल भारतीय आधार पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाई जा रही उच्चतर न्यायिक सेवा में 25% सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन को सौंपने के लिए **सैद्धांतिक रूप से सहमत** है।

4.	मेघालय	मेघालय उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए खुला है परंतु सेवा के अधिकारियों को आईएएस, आईपीएस, आदि की तर्ज पर तीन राज्यों के उच्च न्यायालयों में उन्नयन का विकल्प दिया जाए।
5.	उत्तराखंड	उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर पर आयु, भर्ती निकाय, अहर्ता, राज्यों को आबंटन, कोटा, प्रशिक्षण, न्यायालय की भाषा आदि में परिवर्तन के लिए सुझाव दिए हैं।
6.	मणिपुर	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का कार्यान्वयन कतिपय मुद्दों के समाधान के अधीन होना चाहिए, जैसे काडर का आबंटन और भाषा का आवंटन आदि।
ऐसे उच्च न्यायालय जिन्होंने अभी तक प्रतिउत्तर नहीं दिया है		
1.	गुवाहाटी	कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
2.	मध्य प्रदेश	म.प्र. उच्च न्यायालय ने तारीख 16.09.2014 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि मामला पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *203
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता

203 श्री सुशील कुमार गुप्ता :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए पहुंच का विस्तार करने हेतु कोई योजना बनाई है और क्या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है ;

(ग) नागरिक टेली-लॉ मोबाइल ऐप का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस ऐप से जुड़ने के लिए वकीलों को प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्क कानूनी सहायता" से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *203, जिसका उत्तर तारीख 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : जी हां । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (एलएसए), अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाली हिताधिकारियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, मुफ्त और असक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करता है ।

इस प्रयोजन के लिए तालुका न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थानों की स्थापना की गई है । अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि के दौरान 3.10 लाख व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की गई है । लोक अदालतों के माध्यम से 75.41 मामले (न्यायालयों में लंबित और मुकदमा पूर्व स्तर के विवाद) भी निपटाए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने अपनी डिजिटल उपस्थित में वृद्धि की है और विधिक सेवा आवेदन करने के लिए पहले से ही विद्यमान वेब पोर्टल के अतिरिक्त तारीख 08.08;2021 को एंड्राइड और आइओएस वर्जन के लिए विधिक सेवा मोबाइल एप शुरू की है । मोबाइल एप विधिक सहायता, विधिक सलाह प्राप्त करने, अन्य शिकायतों के समाधान और आवेदनों को खोजने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है ।

हाल ही में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में देश के प्रत्येक ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में पहुंचने के क्रम में नाल्सा द्वारा छह सप्ताह का अखिल भारतीय विधिक जागरूकता और आउटरिच अभियान चलाया गया था । अभियान का उद्देश्य जन समूह को उपलब्ध मुफ्त विधिक सेवाओं के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की आउटरिच को अधिकतम करना था । 17.98 लाख गांवों में घर-घर दौरा किया गया था जिसमें 83.67 करोड़ नागरिकों तक पहुंचा गया था । इसके अतिरिक्त, 5.98 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिससे 26.07 करोड़ नागरिक लाभांवित हुए । 39,187 विधिक सेवा क्लीनिक आयोजित किए गए जिनसे 1.44 करोड़ नागरिकों को सहायता प्राप्त हुई । 3.21 लाख गांवों में 26,460 मोबाइल वैन लगाई गई थीं जिन्होंने 19.46 करोड़ नागरिकों को जागरूक किया । तारीख 05.12.2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक मेगा विधिक सेवा कैंप आयोजित किया गया था जिसमें 5,000 से अधिक लोग उपस्थित हुए थे । विभिन्न सरकारी विभागों अर्थात् समाज कल्याण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बागवानी, पशु-पालन आदि ने शिविर में भाग लिया था और उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी कल्याणकारी स्कीमों की जानकारी जन साधारण को दी थी ।

(ग) और (घ): न्याय विभाग ने तारीख 13.11.2021 को सिटिजन्स टैली-लॉ मोबाइल एप प्रारंभ किया है । यह मोबाइल एप्लीकेशन लाभार्थियों को पैनल अधिवक्ताओं से सीधे मुफ्त मुकदमा पूर्व सलाह और परामर्श तक पहुंच प्रदान करती है । यह एप्लीकेशन छह भाषाओं में उपलब्ध है जो अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मराठी हैं । यह एप्लीकेशन एंड्रायड वर्जन पर उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है । अधिवक्ताओं के लिए टैली-लॉ मोबाइल एप्लीकेशन वर्तमान में केवल टैली लॉ हेतु रजिस्ट्रीकृत पैनल अधिवक्ताओं के लिए खोली गई है ।

तारीख 08.11.2021 से 14.11.2021 तक देश भर में एक विशेष लॉग-इन सप्ताह उन व्यक्तियों को जिन्हें टैली और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक सलाह और परामर्श की आवश्यकता है टैली-लॉ सेवाएं प्रदान करने वाले निकटतम सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) पर जाने

के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित किया गया था । आउटरिच को बढ़ाने के लिए टैली-लॉ ऑन व्हील अभियान भी आयोजित किया गया था जिसमें देश भर में 4250 जागरूकता और समुदाय संघटन सत्र संचालित किए गए थे जिससे 52,000 प्रतिभागी लाभान्वित हुए । टैली-लॉ के प्रारंभ से उसकी यात्रा पर विशेष बल देते हुए तारीख 13.11.2021 को एक "फुटप्रिंट ऑफ टैली-लॉ" शीर्ष वाली लघु फिल्म और मोबाइल एप पर प्रोमोशन वीडियो जारी किया गया था । पैनल अधिवक्ताओं और लाभार्थियों के लाभ के लिए मोबाइल एप पर हिंदी और अंग्रेजी में एक ई-ट्यूटोरियल भी विकसित किया है । आज तक नब्बे पैनल अधिवक्ताओं सहित 10946 लाभार्थियों ने मोबाइल एप डाउनलोड की है । 7594 लाभार्थी सलाह के लिए रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं और 7160 मामलों में पहले ही सलाह दी जा चुकी है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2198
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

बलात्कार और पॉस्को मामलों के लिए त्वरित विशेष न्यायालय

2198 सुश्री सुष्मिता देव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बलात्कार और पॉस्को अधिनियम (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के मामलों के लिए त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मामलों का निपटान करने में लगने वाले औसत समय में कोई सुधार हुआ है ;

(ग) यदि हाँ, तो एफटीएससी की स्थापना से पहले और बाद में लगने वाले औसत समय का ब्यौरा क्या है ;

(घ) एफटीएससी की स्थापना करने के लिए जारी की गई धनराशि का राज्य-वार व्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारियों की रिक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी, हां। न्याय विभाग बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों का शीघ्र विचारण और निपटान करने के लिए अन्नय रुप से 389 पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय रुप से प्रायोजित एक स्कीम का कार्यान्यवयन कर रहा है, अक्तूबर माह 2021 के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के अनुसार 381 ई-पॉक्सो न्यायालयो सहित 681 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय देश भर के 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिन्होंने 64217 मामलों का निपटान किया है ।

(ख) और (ग) : चूंकि त्वरित निपटान न्यायालय 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में देश भर में फैले हुए है और मामले के निपटान में लगने वाले औसत समय गतिशील प्रकृति है, अतः डाटा केन्द्रीय रुप से नहीं रखा जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के लिए त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के गठन के पूर्व और पश्चात में लगने वाले औसत समय का डाटा केन्द्रीय रुप से नहीं रखा गया है ।

(घ) : त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के लिए जारी की गई निधि के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं ।

(ङ) और (च) : सूचना एकत्रित की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

****

उपाबंध

त्वरित निपटान विशेष न्यायालय को जारी की गई निधियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20 में जारी की गई रकम	2020-21 में जारी की गई रकम	2021-22 में जारी की गई रकम
1	छत्तीसगढ	3.375	3.375	0
2	गुजरात	7.875	7.875	0
3	मिजोरम	1.0125	1.0125	0.50625
4	नागालैंड	0.3375	0.3375	0
5	झारखंड	4.95	4.95	0
6	मध्य प्रदेश	15.075	15.0750	15.075
7	मणिपुर	0.675	0.675	0.3375
8	हरियाणा	3.6	3.6	3.6
9	चंडीगढ़	0.1875	0	0
10	राजस्थान	5.85	14.4	10.125
1 1	तमिलनाडु	3.15	3.15	2.59
12	त्रिपुरा	1.0125	1.0125	0
13	उत्तर प्रदेश	13.80625	84.29375	24.525
14	उत्तराखंड	2.7	0	2.092
15	दिल्ली	3.6	0	0
16	आंध्र प्रदेश	1.8	0	0
17	बिहार	2.025	15.26255	0
18	असम	2.85625	1.86875	3.375
19	महाराष्ट्र	31.05	0	0
20	हिमाचल प्रदेश	1.0125	1.51875	0
21	कर्नाटक	6.975	0	0
22	केरल	8.4	0	0
23	मेघालय	1.6875	0	0
24	ओड़िसा	5.4	1.3	0
25	पंजाब	2.7	0	0
26	तेलंगाना	8.1	0	0
27	गोवा	0.225	0	0
28	जम्मू - कश्मीर	0.5625	0	0
29	पश्चिमी बंगाल	0	0	0
30	अंदमान निकाबार दीव समहू	0	0	0
31	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
	कुल	**140**	**159.71**	**62.22575**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2199
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

निचली अदालतों में लम्बित कम गम्भीर प्रकृति के मामले

2199. सुश्री सरोज पाण्डेय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की निचली अदालतों में वर्तमान में ऐसे कितने न्यायिक प्रकरण लम्बित हैं जिन्हें कम से कम तीन वर्ष पहले दर्ज किया गया है और जो हत्या या बलात्कार से अलग और अपेक्षाकृत कम गम्भीर प्रकृति के हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : "हत्या या बलात्कार से अलग अपेक्षाकृत कम गंभीर प्रकृति" के मामलों के लंबन से संबन्धित विनिर्दिष्ट डाटा सरकार नहीं रखती है । मामले की प्रास्थिति का डाटा राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर रखा जाता है । कम से कम तीन (3) वर्षों से लंबित मामलों का कथन निम्नानुसार है :-

विशिष्टियाँ	**सिविल**	**दांडिक**	**कुल योग**
3 से 5 वर्ष	**1564558(14.52%)**	**4358935(14.34%)**	**5923493(14.38%)**
5 से 10 वर्ष	**1539375(14.29%)**	**4254366(13.99%)**	**5793741(14.07%)**
10 से 20 वर्ष	**526165(4.88%)**	**2087444(6.87%)**	**2613609(6.35%)**
20 से 30 वर्ष	**110581(1.13%)**	**353954(1.13%)**	**464535(1.13%)**
30 वर्ष से ऊपर	**35241(0.33%)**	**61708(0.2%)**	**96949(0.24%)**
कुल योग	**3775920**	**11116407**	**14892327**

(ख) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का

समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई अन्य कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240

न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
10.12.2021	24,489	19,290

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति

गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2200
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

निःशुल्क कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई कानूनी सेवाएं

2200 डा. नरेन्द्र जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण में दीवानी अथवा अपराधिक प्रकरणों के मामले के संचालन में और विधिक कार्रवाई में निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त व्यक्तियों का राज्य, लिंग और श्रेणी-वार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए) ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार, सभी महिलाएं चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के अंतर्गत आती हों, संपूर्ण देश में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ उठाने और प्राप्त करने की पात्र हैं । जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा सूचित किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने वाली महिलाओं से संबंधित डाटा इसके स्तर पर नहीं रखे गए हैं । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आने वाली महिलाएं और व्यक्तियों के विवरण दर्शाने वाले कथन जिन्हें वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई है, **उपाबंध-क** में दिए गए हैं ।

****

उपाबंध-क

निःशुल्क कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की गई कानूनी सेवा के संबंध में, डा. नरेन्द्र जाधव, संसद-सदस्य द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2200 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय में आने वाली महिलाओं और व्यक्तियों के विवरणों को दर्शाने वाले कथन जिन्हे वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण, 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई थी (सितंबर, 2021 तक)

क्र.सं.	सालसा	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22 (सितंबर, 2021 तक)		
		महिलाएं	एस सी	एस टी	महिलाएं	एस सी	एस टी	महिलाएं	एस सी	एस टी	महिलाएं	एस सी	एस टी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22	0	0	13	0	0	14	0	0	5	0	0
2	आंध्रप्रदेश	918	177	84	680	210	62	239	56	16	208	17	6
3	अरुणाचल प्रदेश	1028	324	1527	992	511	1956	719	181	787	288	104	298
4	असम	1523	88	142	1877	178	164	2467	86	151	753	129	317
5	बिहार	15800	14573	629	8832	5818	156	3622	1132	260	752	428	186
6	छत्तीसगढ़	5603	7398	10141	5642	8640	25137	1580	2364	7642	1276	1352	3197
7	दादरा और नागर हवेली	14	1	2	17	1	6	8	0	1	5	0	1
8	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	17111	1008	23	17783	1019	7	10605	356	12	6708	246	2
10	गोआ	710	14	3	1879	13	4	478	2	0	157	0	1
11	गुजरात	5019	1402	944	6848	1726	1375	2588	545	326	2559	516	265
12	हरियाणा	5914	981	8	6998	707	1	3253	265	0	2540	313	0
13	हिमाचल प्रदेश	2206	550	62	2046	382	41	1111	165	15	1020	140	25
14	जम्मू-कश्मीर	903	579	308	1683	773	167	1951	384	153	1174	69	98
15	झारखंड	20265	4814	40974	9537	2729	2960	8132	4964	4324	2894	1112	851
16	कर्नाटक	13330	7214	4304	18872	9017	6188	4369	4121	2684	2167	2822	3683
17	केरल	33327	5078	2322	21541	4280	1728	4240	529	182	2363	353	101
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	45748	22022	22011	66252	33481	45981	17950	9471	9861	9531	5430	6168
20	महाराष्ट्र	9388	952	475	9790	1578	589	4640	1127	543	2862	611	342
21	मणिपुर	6498	1122	5670	6753	1251	3994	4805	1265	6575	2600	1090	2658

22	मेघालय	649	280	1768	446	280	1397	273	125	1038	179	10	276
23	मिजोरम	2711	2	7813	2343	0	4856	288	16	854	79	104	431
24	नागालैंड	877	405	31068	256	153	2001	647	290	2036	445	258	1198
25	उड़ीसा	3590	958	621	2639	702	592	1689	662	414	939	518	522
26	पुडुचेरी	324	57	8	283	49	2	74	11	0	63	10	3
27	पंजाब	10170	6842	436	38059	29869	6	6428	2508	5	3413	896	4
28	राजस्थान	2888	1332	568	1279	219	134	519	98	46	366	63	23
29	सिक्किम	384	28	117	400	13	81	316	11	62	194	16	63
30	तमिलनाड़	10180	3712	680	8794	3923	934	4452	864	248	2298	487	110
31	तेलंगाना	2100	322	123	1550	113	33	646	49	13	430	20	11
32	त्रिपुरा	5675	2705	1758	5164	2282	1082	1085	176	158	566	41	15
33	चंडीगढ़	1817	105	0	996	89	13	530	14	0	326	14	0
34	उत्तर प्रदेश	11370	8003	835	7191	5463	558	620	343	5	861	2240	2
35	उत्तराखंड	810	110	13	911	73	15	722	69	49	506	40	12
36	पश्चिमी बंगाल	8917	3586	1823	11441	3235	1993	4594	1083	599	2683	858	320
37	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	0	3	5	53	15	58
	कुल	**247789**	**96744**	**137260**	**269787**	**118777**	**104213**	**95654**	**33335**	**39064**	**53263**	**20322**	**21247**

टिप्पण: लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण फरवरी, 2021 के महीने में गठित किया गया था ।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2201
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

निचली अदालतों में लम्बित मामले

2201 श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) आज की तिथि के अनुसार देश में निचली न्यायपालिका के स्तर पर लम्बित दीवानी और आपराधिक मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;
(ख) 1 दिसम्बर, 2021 और 1 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार देश में निचली न्यायपालिका के स्तर पर लम्बित दीवानी और आपराधिक मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(ग) विगत दो वर्षों के दौरान आपराधिक और दीवानी मामलों के लम्बित मामलों में वृद्धि/कमी का राज्य वार ब्यौरा क्या है ; और
(घ) विगत दो वर्षों के दौरान देश में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर उपलब्ध, राज्य-वार, निचली न्यायपालिका के संबंध में, आज तारीख तक सिविल और दांडिक मामलों के लंबन के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर हैं ।
(ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर उपलब्ध, राज्य-वार,1.12.2021 और 01.01.2020 को निचली न्यायपालिका के संबंध में, सिविल और दांडिक मामलों के लंबन के ब्यौरे **उपाबंध-2** पर हैं ।
(ग) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर उपलब्ध, पिछले दो वर्षों के दौरान (1जनवरी, 2020 और 13 दिसंबर, 2021 को) राज्य-वार, निचली न्यायपालिका के संबंध में, सिविल और दांडिक मामलों के लंबन में वृद्धि / कमी के ब्यौरे **उपाबंध-3** पर हैं ।
(घ) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई अन्य कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा

बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए

उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
13.12.2021	24,489	19,356

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों

के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

उपाबंध-1

निचली अदालतों में लम्बित मामले से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2201 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम*	13.12.2021 तक लंबित मामले		
		सिविल मामले	आपराधिक मामले	दोनों
1	आंध्र प्रदेश	413386	358955	772341
2	असम	86566	327950	414516
3	बिहार	473790	2897386	3371176
4	चंडीगढ़	22723	45341	68064
5	छत्तीसगढ	68945	301892	370837
6	दिल्ली	241300	850685	1091985
7	दीव और दमन	1389	1466	2855
8	सिलवासा स्थित दादर और नागर हवेली	1740	1920	3660
9	गोवा	25750	35535	61285
10	गुजरात	459288	1499829	1959117
1 1	हरियाणा	429063	839183	1268246
12	हिमाचल प्रदेश	153640	294670	448310
13	जम्मू - कश्मीर	95828	147198	243026
14	झारखंड	89167	405426	494593
15	कर्नाटक	876561	1119919	1996480
16	केरल	517243	1436017	1953260
17	लद्दाख	398	426	824
18	मध्य प्रदेश	377780	1463105	1840885
19	महाराष्ट्र	1477536	3366054	4843590
20	मणिपुर	8430	4430	12860
21	मेघालय	4210	9881	14091
22	मिजोरम	2202	3742	5944
23	नागालैंड	489	2109	2598
24	उड़ीसा	303368	1212366	1515734
25	पुदुचेरी	15381	19720	35101
26	पंजाब	391687	525185	916872
27	राजस्थान	515566	1496161	2011727
28	सिक्किम	674	1193	1867
29	तमिलनाडु	759650	606749	1366399
30	तेलंगाना	328829	475421	804250
31	त्रिपुरा	9151	30134	39285
32	उत्तर प्रदेश	1908209	7951414	9859623
33	उत्तराखंड	44417	256002	300419
34	पश्चिमी बंगाल	604073	1976534	2580607
	कुल	**10708429**	**29963998**	**40672427**

***टिप्पण : अरुणाचल प्रदेश** राज्य और **लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र** में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर डाटा एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

उपाबंध-2

निचली अदालतों में लम्बित मामले से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2201 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम*	01.12.2021 तक लंबित मामले			01.1.2020 तक लंबित मामले		
		सिविल मामले	आपराधिक मामले	दोनों	सिविल मामले	आपराधिक मामले	दोनों
1	आंध्र प्रदेश	413693	363691	777384	241528	188628	430156
2	असम	86293	326104	412397	47202	180308	227510
3	बिहार	472162	2888823	3360985	369390	2276030	2645420
4	चंडीगढ़	23115	45849	68964	13228	21913	35141
5	छत्तीसगढ	69484	309107	378591	38086	161756	199842
6	दिल्ली	238327	842159	1080486	133077	530201	663278
7	दीव और दमन	1373	1472	2845	799	800	1599
8	सिलवासा स्थित दादर और नागर हवेली	1721	1934	3655	1040	1058	2098
9	गोवा	25621	35469	61090	17064	18246	35310
10	गुजरात	464514	1576737	2041251	300916	831407	1132323
1 1	हरियाणा	427431	833373	1260804	228601	407926	636527
12	हिमाचल प्रदेश	154820	290206	445026	91576	107356	198932
13	जम्मू - कश्मीर	95828	147198	243026	60728	89858	150586
14	झारखंड	88694	402114	490808	56504	258011	314515
15	कर्नाटक	867946	1021854	1889800	519073	531896	1050969
16	केरल	514423	1448236	1962659	263079	814605	1077684
17	लद्दाख	398	426	824	190	198	388
18	मध्य प्रदेश	380836	1460728	1841564	221709	898732	1120441
19	महाराष्ट्र	1475674	3395067	4870741	1015073	2146953	3162026
20	मणिपुर	8342	4309	12651	4777	2264	7041
21	मेघालय	4135	9663	13798	2749	6738	9487
22	मिजोरम	2191	3674	5865	1030	1713	2743
23	न◌ागालैंड	471	2111	2582	178	1308	1486
24	उड़ीसा	303026	1209105	1512131	225357	919106	1144463
25	पु◌ुडुचेरी	15341	19425	34766	7731	13228	20959
26	पंजाब	395250	526833	922083	194004	239226	433230
27	राजस्थान	523810	1516368	2040178	332173	1010796	1342969
28	सिक्किम	636	1180	1816	133	302	435
29	तमिलनाडु	757294	599460	1356754	438477	379489	817966
30	तेलंगाना	327400	476063	803463	196061	256077	452138
31	त्रिपुरा	9065	29582	38647	4410	9356	13766
32	उत्तर प्रदेश	1904821	7896231	9801052	1374896	5081977	6456873
33	उत्तराखंड	44380	256319	300699	22158	121855	144013
34	पश्चिमी बंगाल	600973	1962727	2563700	445045	1613543	2058588
	कुल	**10699488**	**29903597**	**40603085**	**6868042**	**19122860**	**25990902**

***टिप्पण : अरुणाचल प्रदेश** राज्य और **लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र** में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर ड◌ाटा एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

उपाबंध-3

निचली अदालतों में लम्बित मामले से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2201 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	सिविल मामले		वृद्धि	आपराधिक मामले		वृद्धि
		01.01.2020 तक	13.12.2021 तक		01.01.2020 तक	13.12.2021 तक	
1	आंध्र प्रदेश	241528	413386	171858	188628	358955	170327
2	असम	47202	86566	39364	180308	327950	147642
3	बिहार	369390	473790	104400	2276030	2897386	621356
4	चंडीगढ़	13228	22723	9495	21913	45341	23428
5	छत्तीसगढ	38086	68945	30859	161756	301892	140136
6	दिल्ली	133077	241300	108223	530201	850685	320484
7	दीव और दमन	799	1389	590	800	1466	666
8	सिलवासा स्थित दादर और नागर हवेली	1040	1740	700	1058	1920	862
9	गोवा	17064	25750	8686	18246	35535	17289
10	गुजरात	300916	459288	158372	831407	1499829	668422
1 1	हरियाणा	228601	429063	200462	407926	839183	431257
12	हिमाचल प्रदेश	91576	153640	62064	107356	294670	187314
13	जम्मू- कश्मीर	60728	95828	35100	89858	147198	57340
14	झारखंड	56504	89167	32663	258011	405426	147415
15	कर्नाटक	519073	876561	357488	531896	1119919	588023
16	केरल	263079	517243	254164	814605	1436017	621412
17	लद्दाख	190	398	208	198	426	228
18	मध्य प्रदेश	221709	377780	156071	898732	1463105	564373
19	महाराष्ट्र	1015073	1477536	462463	2146953	3366054	1219101
20	मणिपुर	4777	8430	3653	2264	4430	2166
21	मेघालय	2749	4210	1461	6738	9881	3143
22	मिजोरम	1030	2202	1172	1713	3742	2029
23	नागालैंड	178	489	311	1308	2109	801
24	उड़ीसा	225357	303368	78011	919106	1212366	293260
25	पुडुचेरी	7731	15381	7650	13228	19720	6492
26	पंजाब	194004	391687	197683	239226	525185	285959
27	राजस्थान	332173	515566	183393	1010796	1496161	485365
28	सिक्किम	133	674	541	302	1193	891
29	तमिलनाडु	438477	759650	321173	379489	606749	227260
30	तेलंगाना	196061	328829	132768	256077	475421	219344
31	त्रिपुरा	4410	9151	4741	9356	30134	20778
32	उत्तर प्रदेश	1374896	1908209	533313	5081977	7951414	2869437
33	उत्तराखंड	22158	44417	22259	121855	256002	134147
34	पश्चिमी बंगाल	445045	604073	159028	1613543	1976534	362991
	कुल	**6868042**	**10708429**	**3840387**	**19122860**	**29963998**	**10841138**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2202
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

बिहार में न्यायालयों में लंबित मामले

2202 श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में कितने-कितने दीवानी और आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं।

(ख) उक्त सभी श्रेणियों में 5 वर्ष से कम समय से लंबित, 5 से 10 वर्षों से लंबित, 10 वर्ष और उससे अधिक समय से लंबित पड़े मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं:

(घ) क्या सरकार ने पिछली रिक्तियों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए कोई उपाय किए हैं , तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किन्हीं उपायों को अपनाया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : पटना उच्च न्यायालय और बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित सिविल और दांडिक मामलों की कुल संख्या उपाबंध पर है ।

(ग) : 10.12.2021 तक बिहार के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 554 पद रिक्त है ।

(घ) : संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। और, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में संबंधित राज्य सरकारें, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के मुद्दे के संबंध में नियमों और विनियमों को विरचित करती हैं । इसलिए, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध है, उच्च न्यायालय कतिपय राज्यों में इसे करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय इसे राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं ।

जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में संविधान के अधीन संघ सरकार की कोई भूमिका नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर के मामले में 04 जनवरी, 2007 के अपने आदेशों में अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण

किए जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा विकसित की है जो नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को आरम्भ होगी और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक समाप्त हो जाएगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य में विशेष भौगोलिक और जलवायु दशाओं या अन्य सुसंगत दशाओं पर आधारित किसी कठिनाई की स्थिति में समय अनुसूची में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है ।

और, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, न्याय विभाग ने आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को मलिक मजहर निर्णय की एक प्रति अग्रेषित की है । न्याय विभाग मलिक मजहर मामले द्वारा आदेशित अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने को त्वरित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को समय-समय पर लिख रहा है ।

सितम्बर, 2016 में संघ के विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर संख्या बढ़ाने तथा राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए लिखा । इसे मई, 2017 में दोहराया गया । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़ाकर 10.12.2021 तक 24,489 कर दी गई । अगस्त, 2018 में मामलों के बढ़ते लम्बन के संदर्भ में, संघ के विधि और न्याय मंत्री ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को नियमित रूप से रिक्तियों की प्रास्थिति को मॉनीटर करने तथा मलिक मजहर सुल्तान के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित समय अनुसूची के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लिखा है । रिक्तियों को भरने को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) सं. 2018 की 2 में मॉनीटर भी किया जा रहा है ।

(ङ) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई अन्य कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में

नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
10.12.2021	24,489	19,290

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

<u>उपाबंध</u>

<u>बिहार में लम्बित मामलों के संबंध में 16.12.2021 को उत्तर देने के लिए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2202 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट कथन</u> ।

10.12.2021 तक पटना उच्च न्यायालय में लम्बित मामले				
प्रकृति	कुल लम्बित मामले (10.12.2021 तक)	5 वर्ष से कम के लम्बित मामले (अर्थात् 0-5 वर्ष)	5 से 10 वर्ष के लम्बित मामले	10 वर्ष और उससे अधिक के लम्बित मामले
सिविल	112961	86825	17288	8848
दांडिक	114484	87118	9940	17426
योग	227445	173943	27228	26274
बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में 10.12.2021 तक लम्बित मामले				
प्रकृति	कुल लम्बित मामले (10.12.2021 तक)	5 वर्ष से कम के लम्बित मामले (अर्थात् 0-5 वर्ष)	5 से 10 वर्ष के लम्बित मामले	10 वर्ष और उससे अधिक के लम्बित मामले
सिविल	473918	309964	100713	63241
दांडिक	2900067	1836502	625187	438378
योग	3373985	2146466	725900	501619

स्रोत – राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2203
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामले

2203. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मामलों के लंबित रहने की दर चिन्ताजनक और बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के पास उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के लिए चार क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : देश में भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:--

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	तक लंबित
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	69,855 (06.12.2021) *
2	उच्च न्यायालय	56,41,212 (10.12.2021)**

स्रोत

* भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट

** राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

(ग) से (ङ) : देश के भिन्न-भिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने की मांग समय-समय पर की गई है । संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में

अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे" ।

दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए भारत का उच्चतम न्यायालय दृढ़तापूर्वक असहमत है । न्यायपीठें स्थापित करने की उपरोक्त सिफारिशें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को विचार-विमर्श के लिए निर्दिष्ट की गई थीं । भारत के मुख्य न्यायामूर्ति ने अपने तारीख 12 अगस्त, 2007 के पत्र में सूचित किया है कि मामले पर विचार-विमर्श के पश्चात् पूर्ण न्यायालय ने तारीख 7 अगस्त, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में मामले पर अपने पूर्व के संकल्प में परिवर्तन करने को न्यायोचित नहीं पाया था और एक मत से यह निष्कर्ष निकाला था कि समिति द्वारा की गई सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकती है । विधि आयोग ने भी अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि संवैधानिक पीठ दिल्ली में स्थापित की जानी चाहिए और चार अपील न्यायपीठें उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चैन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुम्बई में स्थापित की जानी चाहिए । इस संबंध में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति ने सुनिश्चित किया था कि मामले पर विचार करने के पश्चात् पूर्ण न्यायालय ने तारीख 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने को न्यायोचित नहीं पाया है । राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करने के विषय में भारत के उच्चतम न्यायालय में एक 2016 की रिट याचिका संख्या 36 फाइल की गई है ।

उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों के संबंध में उच्च न्यायालय न्यायपीठ जसवंत आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और शीर्ष न्यायालय द्वारा वर्ष 2000 की रिट याचिका (सी) संख्या 379 के अनुसार उद्घोषित निर्णय तथा उस राज्य सरकार जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचनात्मक सुविधाएं करनी हैं और संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जिससे उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन प्रशासन देखभाल करना अपेक्षित है से प्राप्त संपूर्ण प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् की जाती है । पूर्ण किया जाने वाले प्रस्ताव पर संबद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए । उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ से भिन्न अन्य स्थानों पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने का अनुरोध समय-समय पर विभिन्न संगठनों से प्राप्त हुआ है तथापि, वर्तमान में सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2204
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण नीति

2204 श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में आरक्षण नीति का अनुपालन कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती हैं, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2206
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायालय संबंधी अवसंरचना के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश

2206. श्री विवेक के. तन्खा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में न्यायालय संबंधी अवसंरचना को बेहतर बनाने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हाँ तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना व्यवस्था करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार एक शासकीय निकाय होगी जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति संरक्षक के रूप में होंगे । प्रस्ताव की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं यह हैं कि एनजेआईएआई सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान अवसंरचनाओं के अतिरिक्त भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यान्वयन अवसंरचना की योजना, सृजन, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रूपरेखा अधिकथित करने में केन्द्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगी । प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेज दिया गया है, चूंकि वे उस मामले के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण पणधारी हैं ।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है । राज्य सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि करने के लिए संघ सरकार विहित निधि साझा पेटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रयोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । आज तक, केन्द्रीय सरकार ने इस स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 8709.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं । इस स्कीम का समय-समय पर विस्तार किया गया है । इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय

सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और वास सुविधाओं के निर्माण हेतु निधियां निर्मुक्त की हैं । सरकार ने उपरोक्त स्कीम को 01.04.2021 से 31.03.2021 तक 5307 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश सहित कुल 9000 करोड़ रुपए की बजटीय लागत के साथ पांच वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है ।

इस स्कीम के घटकों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों, डिजिटल कप्यूटर कक्षों और अधिवक्ताओं के लिए हॉल के संनिर्माण को भी समाविष्ट करने के लिए बढ़ा दिया है ।

उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तारीख 01.12.2021 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 20,595 न्यायालय हॉल और 18,087 आवासीय इकाईयां उपलब्ध थीं । इसके अतिरिक्त, 2846 न्यायालय हॉल और 1775 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2207
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायपालिका में आरक्षण

2207 श्री के. सोमप्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह मानना है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के चयन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सांविधिक आरक्षण लागू नहीं होता है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का अनुपालन करने हेतु कदम उठाए जाएँगें ; और

(ग) क्या सरकार न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामले में उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम के साथ परामर्श करने की इक्छुक है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती हैं, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए ।

****